17

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा

सत्रहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

19 दिसंबर,2022/ अग्रहायण 1944 (शक)

सीपीएंडएनजी सं.

सत्रहवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा

21.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

19 दिसंबर,2022/ अग्रहायण 1944 (शक)

	विषय-सूची	
	समिति (2022-23) की संरचना.....	(iii)
	प्राक्कथन	(iv)
	प्रतिवेदन	
	भाग – एक	
I.	**प्रस्तावना**	
II.	**संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी)**	
III.	**सतत के अंतर्गत वर्तमान स्थिति**	
IV.	**समन्वय तंत्र**	
V.	**सीबीजी संयंत्रों की स्थापना में चुनौतियां**	
VI.	**एकल खिड़की मंजूरी**	
VII.	**सीबीजी संयंत्रों के लिए आशय पत्र (एलओआई)**	
VIII.	**सीबीजी संयंत्रों को बैंकिंग सहायता**	
IX.	**सीबीजी संयंत्रों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति**	
X.	**सीबीजी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण**	
XI.	**सीबीजी संयंत्रों की लागत**	
XII.	**सीबीजी का मूल्य निर्धारण**	
XIII.	**गैस सिंक्रोनाइज़ेशन योजना**	
XIV.	**सीबीजी उद्योग संबंधी कराधान संरचना**	
XV	**सीबीजी संयंत्रों में जीएसटी मुद्दे**	
XVI	**सीबीजी संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता**	
XVII	**सीबीजी संयंत्रों में केवीके, एफपीओ और सीएचसी की भूमिका**	
XVIII	**जैव-खाद के ऑफ टेक के मुद्दे**	
XIX	**सीबीजी के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस**	
XX	**प्रशिक्षण और जनशक्ति**	
XXI	**अनुसंधान और विकास**	
	भाग – दो	
समिति की टिप्पणियाँ/सिफ़ारिशें		
	अनुबंध	
अनुबंध-एक	समिति (2021-22) की दिनांक 05.01.2022 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
अनुबंध-दो	समिति (2021-22) की दिनांक 08.06.2022 को हुई पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
अनुबंध-तीन	समिति (2021-22) की दिनांक 28.07.2022 को हुई उन्नीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
अनुबंध-चार	समिति (2021-22) की दिनांक 04.08.2022 को हुई बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
अनुबंध-पांच	समिति (2022-23) की दिनांक 19.12.2022 को हुई छठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट-एक	प्रचालनगत सीबीजी संयंत्रों की सूची	

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

क्र. सं.	सदस्यों के नाम
	लोक सभा
श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति	
2.	श्री रमेश बिन्द
3.	श्री प्रद्युत बोरदोलोई
4.	श्री गिरीश चन्द्र
5.	श्रीमती चिंता अनुराधा
6.	श्री दिलीप शइकीया
7.	श्री तपन कुमार गोगोई
8.	श्री नारणभाई काछड़िया
9.	डॉ .कलानिधि वीरास्वामी
10.	श्री संतोष कुमार
11.	श्री रोड़मल नागर
12.	श्री मितेष पटेल
13.	श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
14.	श्री एम.के .राघवन
15.	श्री चंद्र शेखर साहू
16.	श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
17.	डॉ. भारतीबेन डी .श्याल
18.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
19.	श्री लल्लू सिंह
20.	श्री विनोद कुमार सोनकर
21.	श्री अजय टम्टा
	राज्य सभा
22.	श्री शक्तिसिंह गोहिल
23.	श्रीमती कान्ता कर्दम
24.	श्री मिथलेश कुमार
25.	श्री पवित्र मार्गेरिटा
26.	श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया
27.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
28.	डॉ. सस्मित पात्रा
29.	श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
30.	डॉ. वी. शिवादासन
31.	श्री रविचंद्र वद्दीराजू

सचिवालय

1.	श्री वाई .एम .कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एच .राम प्रकाश	-	निदेशक
3.	श्री दीपक कुमार	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' विषयक यह सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने दिनांक **05.01.2022, 08.06.2022, 28.07.2022** और **04.08.2022** को हुई अपनी बैठकों में सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा विषय की जांच के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग और राजस्व विभाग), रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारतीय बायोगैस संघ के प्रतिनिधियों और सीबीजी संयंत्रों के उद्यमियों से संक्षिप्त जानकारी ली।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने **19.12.2022** को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों/हितधारकों को विषय की जांच के संबंध में समिति के समक्ष अपने विचार रखने और वांछित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

5. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग हेतु समिति उनकी सराहना करती है।

नई दिल्ली
19 दिसंबर, 2022
19 अग्रहायण 1944 (शक)

रमेश बिधूडी,
सभापति,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय -1

प्राक्कथन

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऊर्जा उपलब्धता विकास प्रतिमान का एक प्रमुख घटक है। ईंधन की घरेलू उपलब्धता और जीवाश्म ईंधन में भारत की आयात निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा तब तक कमजोर रहेगी जब तक कि स्वदेशी रूप से उत्पादित नवीकरणीय फीडस्टॉक के आधार पर पेट्रो-आधारित ईंधन के स्थानापन्न/पूरक ईंधन विकसित नहीं किए जाते। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने 2022 तक आयात निर्भरता को 10 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने पांच-स्तरीय रणनीति अपनाकर तेल और गैस क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना, जैव ईंधन और **नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना,** ऊर्जा दक्षता मानदंड, रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार और मांग का विकल्प शामिल हैं।

1.1 इस संबंध में**, राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति**- 2018 का उद्देश्य आने वाले दशक के दौरान देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना है। यह नीति मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकार की चल रही पहलों के साथ तालमेल बनाती है और किसानों की आय को दोगुना करने, आयात में कमी, रोजगार सृजन, अपशिष्ट से धन सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। नीति के दायरे में जैव ईंधन के रूप में 'बायो -सीएनजी' शामिल है जिसका उपयोग परिवहन ईंधन के रूप में या स्थिर अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। बायो-सीएनजी को बायो-गैस के शुद्ध रूप के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी संरचना और ऊर्जा क्षमता जीवाश्म आधारित प्राकृतिक गैस के समान है और कृषि अवशेषों, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट, एमएसडब्ल्यू और सीवेज पानी से उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के तहत पहल के हिस्से के रूप में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस की सिटी गैस वितरण (सीजीडी) आपूर्ति के सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र में संपीड़ित जैव गैस (बायो-सीएनजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर, 2018 में **किफायती परिवहन की ओर सतत विकल्प (एसएटीएटी) पहल** शुरू की है। एसएटीएटी को 1 अक्टूबर 2018 को देश में विभिन्न अपशिष्ट / बायोमास स्रोतों से सीबीजी के उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। एसएटीएटीएटी ने 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की कुल सीबीजी उत्पादन क्षमता के साथ 5000 सीबीजी संयंत्रों को विकसित करने की परिकल्पना की है जो 2023-24 तक 54 एमएमएससीएमडी गैस के बराबर है। एसएटीएटी पहल लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये (5000 संयंत्र) के निवेश की क्षमता प्रदान करती है और लगभग 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार

के अवसर पैदा करती है। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन/सीओपी-21/सीओपी-26 प्रतिबद्धताओं/आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल बिठाती है।

1.2 **संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) :** अपशिष्ट/बायो-मास स्रोत जैसे कृषि अवशेष, मवेशियों का गोबर, सुगरकेन प्रेस मड, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट आदि एनारोबिक डेकोम्पोसिशन की प्रक्रिया के माध्यम से बायो-गैस

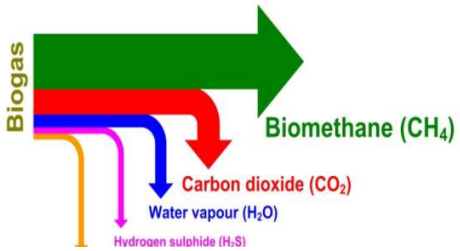

Fig. 1 : Components of biogas

का उत्पादन करते हैं। बायो-गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड (एच 2 एस), कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2), जल वाष्प को हटाने के लिए शुद्ध किया जाता है और संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के रूप में संपीड़ित किया जाता है, जिसमें 90% से अधिक मीथेन (सीएच 4) सामग्री होती है।

1.3 सीबीजी की कैलोरिफिक वैल्यू है और सीएनजी के समान अन्य गुण हैं और इसलिए इसे परिवहन और औद्योगिक/वाणिज्यिक क्षेत्र के उपयोग में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सीबीजी के उत्पादन के कई लाभ होंगे जैसे प्राकृतिक गैस आयात में कमी, जीएचजी उत्सर्जन में कमी, कृषि अवशेषों को जलाने में कमी, किसानों के लिए लाभकारी आय, रोजगार सृजन, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन आदि। इसके अलावा, जैव खाद सीबीजी उत्पादन प्रक्रिया का एक सह-उत्पाद है जिसमें सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्वों के साथ-साथ कार्बनिक कार्बन भी होता है। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है।

<u>एसएटीएटी के अंतर्गत वर्तमान स्थिति</u>:

1.4 तेल और गैस विपणन कंपनियां (ओजीएमसी) अर्थात इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल और आईजीएल संभावित निवेशकों/उद्यमियों से ऑटोमोटिव और वाणिज्यिक ग्राहकों को आगे बिक्री के लिए सीबीजी खरीदने के लिए ईओआई आमंत्रित कर रही हैं। तेल और गैस कंपनियां सीबीजी की खरीद के लिए 15 वर्षों के लिए वाणिज्यिक समझौतों पर हस्ताक्षर कर रही हैं, जिसे पारस्परिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। एसएटीएटी पहल के अनुसार, आईएस 16087: 2016 मानकों के अनुसार प्यूरीफाइएड सीबीजी का खरीद मूल्य, 250 बार प्रेशर पर संपीड़ित और कैस्केड में ओएमसी खुदरा दुकानों पर वितरित किया गया था, जो 1.10.2018 से 31.3.2024 की अवधि के लिए 46 रुपये प्रति किलोग्राम + लागू कर निर्धारित किया गया था। न्यूनतम खरीद मूल्य 31.3.2029 तक 46 रुपये/किग्रा + लागू करों से कम नहीं होगा। हाल ही में, सीएनजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) में वृद्धि और अन्य कारकों के कारण सीबीजी संयंत्र मालिकों से सीबीजी के खरीद मूल्य में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। एसएटीएटी योजना पर तेल और गैस विपणन कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के आधार पर तेल और गैस कंपनियों ने

सीबीजी के संशोधित खरीद मूल्य की पेशकश की थी जो सीएनजी मूल्य से अनुक्रमित है। सीबीजी के संशोधित खरीद मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है: -

- □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ 31.3.2029 □□ □□ □□□□ □□ □□□ 46 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ + □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□

- □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ (□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□) □□ □□□□□ □□□□□

1.5 सीबीजी के उपयोग में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीजीडी नेटवर्क में सीबीजी के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। सीबीजी–सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन योजना को 19.04.2021 से अखिल भारतीय आधार पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है। वर्तमान में सीजीडी नेटवर्कों को बायोगैस/सीबीजी की आपूर्ति के लिए देश भर में विभिन्न सीबीजी उत्पादकों और सीजीडी संस्थाओं के साथ 24 त्रिपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

1.6 दिनांक 26.10.2021 के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, गेल ने भारित औसत मूल्य पर सभी सीजीडी संस्थाओं को एपीएम/एनएपीएम गैस और बायोगैस की आपूर्ति शुरू कर दी थी। इसके बाद, सीजीडी संस्थाओं को समान आधार मूल्य पर पूल की गई प्राकृतिक गैस और बायोगैस की आपूर्ति के लिए दिनांक 6.5.2022 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीति दिशानिर्देश भी 16.05.2022 से लागू किए गए हैं।

इसके अलावा, सीबीजी–सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन स्कीम के अंतर्गत सीबीजी उत्पादकों को दी जाने वाली बायोगैस की खरीद मूल्य को संशोधित कर 1082 रुपये/एमएमबीटीयू + कर कर दिया गया है। इसके अलावा, उत्पादकों को आपूर्ति किए गए बायोगैस/सीबीजी के लिए लागू संपीड़न प्रभार/पाइपलाइन संपीड़न प्रभार/परिवहन प्रभार प्राप्त होंगे।

1.7 मार्च, 2023 तक लगभग 40 अतिरिक्त सीबीजी संयंत्रों के चालू होने की उम्मीद है।

<u>समन्वय तंत्र</u>

1.8 समिति भारत में जैव ईंधन में प्राकृतिक नीति के उद्देश्यों में सीबीजी की भूमिका जानना चाहती थी, जिसके लिए एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया है:

> "भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में घोषित राष्ट्रीय जैव–ईंधन नीति ने स्वदेशी फीडस्टॉक के उपयोग के माध्यम से सेकेंड जेनेरशन (2 जी) इथेनॉल, संपीड़ित

बायोगैस (सीबीजी), अपशिष्ट से ईंधन, ड्रॉप-इन ईंधन आदि जैसे उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन पर जोर दिया। इसके अलावा, भारत सरकार ने भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा लगभग 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 में 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीबीजी के संवर्धन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

सीबीजी के उत्पादन से हरित ऊर्जा मिश्रण में वृद्धि होगी, आयात निर्भरता कम होगी, रोजगार सृजित होगा, विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और प्रदूषण कम होगा। यह बायोमास संग्रह से लेकर संयंत्र संचालन तक आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा और रोजगार सृजन करेगा। सीबीजी में शून्य संबंधित कार्बन उत्सर्जन है। सीबीजी का उपयोग पेरिस समझौते 2015/2022 के अनुसार भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

सीबीजी का उत्पादन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप है। सीबीजी उत्पादन भी गोबर-धन योजना के अनुरूप होना चाहिए ताकि मवेशियों के गोबर का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

फीडस्टॉक	**पारंपरिक प्रौद्योगिकी के अनुसार 1 टन सीबीजी के उत्पादन के लिए संभावित फीडस्टॉक आवश्यकता**
कृषि अवशेष	10 टन
प्रेस मड	25 टन
स्पेंट वाश	10 के एल
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट	20 टन
मवेशियों का गोबर	50 टन
नेपियर घास	10 टन

बायोगैस के विभिन्न फीडस्टॉक अपशिष्ट/जैव-जन स्रोत हैं जैसे कृषि अवशेष, मवेशियों का गोबर, सुगरकाने प्रेस मड , नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आदि।

विभिन्न फीडस्टॉक वार सीबीजी क्षमता निम्नानुसार है::-

उपरोक्त तालिका सांकेतिक है और सीबीजी उत्पादन प्रौद्योगिकी, फीडस्टॉक गुणवत्ता आदि के अनुसार अलग-अलग होगा।.

अब तक एसएटीएटी पहल के तहत 37 सीबीजी/बायोगैस संयंत्र चालू किए गए हैं। इन संयंत्रों की डिजाइन की गई सीबीजी उत्पादन क्षमता लगभग 225 टन प्रति दिन है। ये संयंत्र 51 स्टैंड-अलोन सीबीजी रिटेल आउटलेट्स से अपने उत्पादित सीबीजी की आपूर्ति कर रहे हैं; सीबीजी-सीएनजी सिंक्रनाइज़ेशन स्कीम के अंतर्गत 12 भौगोलिक क्षेत्र और औद्योगिक ग्राहकों के लिए भी। सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों की सूची अनुबंध - एक में दी गई है।".

1.9 समिति ने देश में बायो-गैस की वर्तमान हिस्सेदारी और मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के बारे में जानना चाहा, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया है:

"एसएटीएटी पहल के तहत सरकार ने 2023-24 तक सीबीजी के 15 एमएमटीपीए के उत्पादन लक्ष्य के साथ 5,000 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की है। हालांकि, 1 अगस्त 2022 तक, केवल 37 सीबीजी/बायोगैस संयंत्र चालू किए गए हैं। अब तक ओजीएमसी ने लगभग 9000 टन सीबीजी की बिक्री की है। एमओपीएनजी सीबीजी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है".

1.10 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय द्वारा एसएटीएटी के कार्यान्वयन के संबंध में कोई समीक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया है:

"एसएटीएटी पहल के कार्यान्वयन पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओजीएमसी द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। यह देखा गया है कि सीबीजी क्षेत्र अभी भी देश में विकास के चरण में है। इसे विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहनों और नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ समर्थन देने की आवश्यकता है। हितधारकों के साथ समीक्षा बैठकों के दौरान सामने आए प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत हैं:

क. विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए, सीबीजी के उत्पादन में सुधार के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

ख. देश में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सीबीजी का उत्पादन आवश्यक है।

ग. सीबीजी परियोजनाओं के प्रसार के लिए शीघ्र वित्तपोषण और कम ब्याज और कम संपार्श्विक की आवश्यकता है।

घ. उचित मूल्य पर बायोमास की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के समर्थन की आवश्यकता है।

ङ. जैव खाद सह-उत्पाद है और सीबीजी परियोजनाओं के लिए राजस्व का स्त्रोत है। परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार के लिए जैव खाद का ऑफटेक आवश्यक है।

च. इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए दीर्घावधि करार के साथ सीबीजी की पूरी मात्रा का सुनिश्चित ऑफटेक अनिवार्य है।

छ. राज्य सरकार द्वारा सीबीजी परियोजनाओं और बायोमास भंडारण के लिए भूमि का आवंटन।

ज. सीजीडी नेटवर्क में सीबीजी लगाने के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे का विस्तार"।

1.11 समिति ने पूछा कि क्या देश में सीबीजी उत्पादन के लिए कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है

"अपशिष्ट/बायो-मास स्त्रोत जैसे कृषि अवशेष, मवेशी गोबर, गन्ना प्रेस मिट्टी, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट, आदि एनारोबिक अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से बायो-गैस का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड (एच2एस), कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ$_2$), जल वाष्प को हटाने के लिए बायो-गैस को शुद्ध किया जाता है और कमप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) के रूप में कमप्रेस्ड किया जाता है, जिसमें 90% से अधिक मीथेन (सीएच4) तत्व होता है।

सीबीजी के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। अवायवीय पाचन का उपयोग बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जाता है जिसमें निरंतर स्टिरर्ड टैंक रिएक्टर (सीएसटीआर), प्लग फ्लो, 2 चरण रिएक्टर, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट (यूएएसबी), आदि जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

इसके अलावा, हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जैविक निर्धारण, आयरन क्लोराइड खुराक, जल स्क्रबिंग,

सक्रिय कार्बन, आयरन हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि।

कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें हैं, प्रेशर स्विंग सोखना (पीएसए), वाटर स्क्रबिंग, मेम्ब्रेन सेपरेशन, केमिकल स्क्रबिंग - मोनो एथिल एमाइन (एमईए), डि एथिल एमाइन (डीईए) मिथाइल डि-एथिल एमाइन (एमडीईए) आदि।

एक कंप्रेसर के माध्यम से गैस को कमप्रेस्ड किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रीय और वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाता इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आवश्यकता के आधार पर, सीबीजी परियोजना डेवलपर्स द्वारा इन प्रौद्योगिकियों के संयोजन का उपयोग किया जा रहा है।"

1.12 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम अपने नियमित कार्य संचालन के हिस्से के रूप में सीबीजी संयंत्रों की स्थापना में निवेश करते हैं, इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

"सतत पहल के तहत पीएसयू तेल और गैस विपणन कंपनियां (ओजीएमसी) अर्थात् आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल और आईजीएल संभावित उद्यमियों से सीबीजी संयंत्र स्थापित करने और मोटर वाहन और औद्योगिक ईंधन के तौर पर बिक्री के लिए उनसे सीबीजी खरीदने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित कर रही हैं। इंडियन ऑयल सतत पहल के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में काम कर रहा है और गेल सीएनजी के साथ सीबीजी के तालमेल हेतु समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा ओजीएमसीज की भूमिका हैं:

1. सीबीजी संयंत्रों की स्थापना की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी, वित्त व्यवस्था, वैधानिक अनुमोदन और अन्य पहलुओं में संभावित उद्यमियों की मदद करना।
2. विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों, वित्तीय संस्थान; राज्य सरकार और अन्य पणधारकों के साथ समन्वय; सीबीजी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न प्रवर्तकों की व्यवस्था करेंगे।
3. प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की पहचान के लिए वैश्विक अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण तथा समन्वय के माध्यम से सीबीजी उपकरणों की व्यवस्था।
4. अनुसंधान और विकास कार्य जैसे इंडियन ऑयल के अनुसंधान और विकास केंद्र ने सीबीजी के संबंध में आईबीजी-मैक्स, आईबीजी-प्लस और बायो-एक्ससीड प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। इंडियन ऑयल सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी की पेशकश, सीबीजी संयंत्रों से सीबीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए

इनोकुलम और किण्वित जैविक खाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए योगज को अंतिम रूप दे रहा है ।

5. उद्यमियों और निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करना।

इसके अलावा, ओजीएमसीज ने सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सीबीजी और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। कुछ जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा, ओजीएमसीज सीबीजी वितरण उपकरण जैसे सीबीजी के विपणन के लिए कंप्रेसर, कैस्केड और डिस्पेंसिंग यूनिट की स्थापना हेतु निवेश कर रही है।"

"सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में कुछ सीबीजी और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

क्रमांक	**सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम**	**स्थान**	**फीड स्टॉक**	**सीबीजी/जैव गैस उत्पादन क्षमता**	**परियोजना की स्थिति**
1	आईओसीएल	हिंगोनिया,जयपुर राजस्थान	100 टीपीडी पशु गोबर	6-8 टीपीडी	कार्य प्रगति पर है
2	आईओसीएल	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	200 टीपीडी घान की भूसी+ 40 टीपीडी पशु गोबर	28 टीपीडी	कार्य प्रगति पर है
3	आईओसीएल	बेतुल, मध्य प्रदेश	5 टीपीडी पशु गोबर	200 एम3/दिन	चालू हो गया है
4	आईओसीएल	होशंगाबाद, मध्य प्रदेश	5 टीपीडी पशु गोबर	200 एम3/दिन	चालू हो गया है
5	आईओसीएल	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	5 टीपीडी पशु गोबर	200 एम3/दिन	चालू हो गया है
6	गेल	रांची, झारखंड	150 टीपीडी एमएसडब्ल्यू	15 टीपीडी सीबीजी	काम शुरू हो गया है
7	एचपीसीएल	बदायूं ,उत्तर प्रदेश	140 टीपीडी बायोमास	14 टीपीडी	काम शुरू हो गया है

इसके अलावा, इंडियन ऑयल एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से सीबीजी संयंत्रों में कृषि अवशेष स्थापित करने के लिए एक जर्मन सीबीजी संयंत्र प्रचालक के साथ भी बातचीत कर रहा है।"

1.13 भारतीय बायोगैस संघ (आईबीए) ने समिति को सतत पर निम्नवत उत्तर दिया;

(एक) बायो-सीएनजी/सीबीजी मूल्य को सीएनजी बाजार मूल्य में अनुक्रमित करके आवधिक ऊपर की ओर संशोधन।

(दो) इस क्षेत्र को ऋण गारंटी और उत्पादन आधारित सब्सिडी (जीबीआई) प्रदान करने के लिए 'बायो-गैस-उर्वरक कोष' का निर्माण

(तीन) विकेंद्रीकृत बायो-सीएनजी गैस ग्रिड अवसंरचना का निर्माण और सीजीडी और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड अवसंरचना के साथ एकीकरण।

(चार) उज्ज्वला योजना के तहत सीजीडी में सीबीजी के इंजेक्शन और एलपीजी सिलेंडरों को एसएएटीएटी पहल के तहत बायो-सीएनजी के साथ बदलने की नीति।

(पांच) प्राकृतिक गैस मिश्रण में सीबीजी के सांविधिक मिश्रण के लिए नीति की शुरूआत करना।

(छह) किसानों की आय दोगुनी करने के लिए "जैविक उर्वरक वितरण और उपयोग के बुनियादी ढांचे" का निर्माण।

<u>सीबीजी संयंत्रों की स्थापना में चुनौतियां</u>

1.14 समिति ने सीबीजी संयंत्रों से जुड़े जोखिमों के बारे में पूछा, इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

"सीबीजी संयंत्रों के कुछ संभावित जोखिम निम्नलिखित हैं: -

1. लंबी अवधि के स्थिर मूल्य पर फीडस्टॉक की स्थिर आपूर्ति का अभाव।
2. उपलब्ध राजसहायता को बंद करना अर्थात एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता ।
3. क्षेत्र में सीबीजी की मांग और अन्य प्रतिस्थापन-योग्य ईंधन के साथ प्रतिस्पर्धा ।
4. लाभकारी मूल्य पर जैव खाद (एफओएम/एलएफओएम) का विपणन" ।

सीबीजी संयंत्र उद्यमियों द्वारा सामना की जा रही सामान्य समस्याओं और संयंत्र की व्यवहार्यता के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताते हुए, मेसर्स वर्बियो एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया

"तथ्य यह है कि **2023** तक सतत के पास **5,000** संयंत्रों का लक्ष्य है, और एक प्रतिशत से भी कम को निर्मित किया गया है या कार्यान्वयन के तहत है,

इसका अर्थ यह है कि इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जहां तक व्यावसायिक मामले का संबंध है, यहां एक मौलिक भिन्ता है ... . समझ की कमी या सीमित अनुभव भी बहुत स्पष्ट है, सतर्क में, एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त है, ये दृष्टिकोण **है। आप कोई भी वेस्ट लाएं, फूड वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, एमएसडब्ल्यू, एग्री वेस्ट, सभी को एक समान ट्रीट किया जाता है. जबकि खाद्य अपशिष्ट एक राजस्व साधन है, एमएसडब्ल्यू उत्पादक के लिए एक राजस्व साधन है। म्यूनिसपैलिटी से छः सौ से सात सौ रुपए टन प्रोड्युसर्स को मिलता है। हमें तीन हजार से साढ़े तीन हजार रुपए प्रति टन खर्च करना पड़ता है। मेरे लिए वह कॉस्ट है, तो किसी के लिए वह रेवेन्यू है। फूड वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट वाला ज्यादा कम्प्लेन नहीं करेगा**, क्योंकि अगर मैं उनके पक्ष में होता तो मैं भी शिकायत नहीं करता। मैं किसी को इंगित नहीं करना चाहता, लेकिन यही भिन्नता है जो हम देख रहे हैं। स्टबल बर्निंग की बहुत प्रॉब्लम है, अगर हम यह फंडामेंटल पॉइंट नहीं समझेंगे, तो यह सॉल्व नहीं हो सकता है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, फीड स्टॉक-आधारित प्राइसिंग हमें करनी पड़ेगी या किसी तरह से प्रोड्युसर को वह कॉम्पनसेट किया जाए। मैं पराली के लिए जो खर्च कर रहा हूं, तीन हजार से साढ़े तीन हजार रुपए हमारा लैंडेड, फ्रॉम फार्म टू फीड है। यह सिर्फ कलेक्शन कॉस्ट नहीं है। हमने इसमें पूरी कॉस्ट इंक्लूड की है, जो मुझे साल भर स्टोर करना है, उसे बचा कर रखना है, कवर करना है, हम ने अपने प्लांट में वेदर स्टेशन लगाया है। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल वेदर मॉनिटरिंग पर डिपेंड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने प्लांट के लोकेशन पर पता होना चाहिए कि किस दिन बारिश होने वाली है। जैसे आज-कल-परसों, हमारे पास बारिश की संभावना 80 से 100 प्रतिशत है, यानी मुझे उन्हें ढककर रखना होगा।हमें अनकवर भी करना पड़ता है, अगर मॉस्चर हाई होता है, तो हमें उसे सूखने का मौका भी देना पड़ता है। अनकवरिंग-कवरिंग मैकेनिज्म हम पूरा मैनेज करता हैं। फ़ीड स्टॉक बहुत जटिल चीज है. बहुत कॉम्पलैक्स है। हमें इसकी मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। पूरा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पूरा प्रोटेक्शन है, वह हमारा है। हमें स्टेट और सेंटर से कुछ नहीं मिलता है। हमारा प्लांट 20 एकड़ की जमीन पर है। इसके अलावा हमने 40 एकड़ सेटेलाइट भंडारण स्थान की है। अभी हमारा प्लांट फुल कैपेसिटी पर नहीं है। हमारा प्लांट सिर्फ 25 प्रतिशत कैपेसिटी पर है। जब यह 100 प्रतिशत कैपेसिटी पर आएगा, तो मुझे लगभग 80 एकड़ से सौ एकड़ जमीन चाहिए होगी, जिसमें पराली स्टोर होगी और यह इसको फीड करेगा।

जो एमएनआरई की तरफ से जो था, वह एकदम से बीच में डिसकन्टिन्यू कर दिया गया है, जब हम ने इंवेस्ट कर दिया, यह सहायता वापस ले ली गई. अभी सुनने को मिल रहा है कि यह अप्रूव हो गया है और

इसको दोबारा रीइंस्टेट करेंगे, लेकिन मुझे इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि जो प्लांट इस दौरान बने हैं, वे इसके लिए ऐप्लिकेबल रहेंगे या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है।

अगला बहुत प्रमुख बिंदु यह है कि, हमें यह चीज बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेगी, यह इंडिया का केस नहीं है, यह वर्ल्डवाइड है कि यह प्रोडक्ट अपने दम पर कमर्शियली खड़ा नहीं हो सकता है। इसके तीन रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए। सबसे पहले गैस से तैयार किया गया, जो हमारा आईओसीएल के साथ है, यह एक अच्छी व्यवस्था है। दूसरा है जैव खाद। अकेला गैस पर इसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। यह सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं है, हर जगह यही है। जैव खाद कार्बन समृद्ध उत्पाद है. हमारी सॉयल के लिए यह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जर्मनी में एक बहुत ही सिम्पल पॉलिसी है, जो अपनी जमीन से लिया है, आपको उसे वापस करना है।

..... जैव खाद के ऑफटेक का कोई प्रावधान नहीं है।छः सौ से साढ़े छः सौ टन प्रतिदिन, अगर इतने वॉल्यूम में फुल कपैसिटी में जेनरेट होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इसके लिए हमें कितना स्टोरेज एरिया चाहिए होगा, इसके साथ ही इसके हैंडलिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। यह इसका एक मेजर पॉइंट है, जो अभी हमारे केस में तो सॉल्व नहीं हुआ है। 27 मई को एक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें यह मैनडेट किया गया है कि उर्वरक कंपनियों को इस खाद को ऑफटेक के लिए बाध्य किया गया है। लेकिन वह अधिसूचना किसी कार्यान्वयन का विवरण नहीं देती है कि किस प्राइस पर जाएगा, क्या लॉजिस्टिक्स रहेंगे, उसमें कुछ नहीं है। कौन-सी कम्पनियाँ हैं, कब से वह इफेक्ट में आ गया, इसलिए स्पष्टता नहीं है। फिलहाल, यह खाद जो कार्बन के मामले में बहुत समृद्ध उत्पाद है, हमारे भंडारण स्थानों पर पड़ी है।"

1.15 जब समिति ने किसी सफल सीबीजी संयंत्र मॉडल जिसे दोहराया जा सकता है, के बारे में पूछा, तो मेसर्स एवर एनविरो के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि

"..... हमने एशिया का कूड़ा वेस्ट प्लांट, जो हमारा वेट वेस्ट होता है, इंदौर में लगाया और प्रतिदिन 17 हजार केजी बायो सीएनजी प्रोड्यूज कर रहे हैं, जिससे कि इंदौर शहर की 400 बसेस प्रतिदिन चल रही हैं। जहां तक कूड़े की बात है, यह माडल सक्सेसफुल है। हम अर्बन लोकल बॉडी इंदौर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को ढाई करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रायल्टी दे रहे हैं।

हम ढाई करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रॉयल्टी दे रहे हैं, हमें एक भी पैसा अर्बन लोकल बॉडी से नहीं मिल रहा है। हमारा जो बायो सीएनजी मॉडल है, जिसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जबसे इनॉग्रेट किया है, तब से आज तक 72 देशों ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएफसी तक ने इसे एक्सेप्ट किया है। मैं एक सक्सेसफुल मॉडल की बात कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों को 100 प्लांट्स को वर्ष 2025 तक ऑपरेशनल करके दिखाने का मैनडेट दिया गया है और उस कड़ी में हम कूड़े के प्लांट्स लगा रहे हैं। दिल्ली में ऑलरेडी एक प्लांट बन रहा है, भोपाल में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में 16 प्लांट्स आ रहे हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट के हमारे 11 प्लांट्स पंजाब में पराली के ऊपर बन रहे हैं, जो अगले साल जून तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा अन्य प्रदेशों में जो शुगर मिल्स से निकलता है, उसके लिए प्रेस मड के भी प्लांट्स रहे हैं।

सर, इसके अलावा माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो गोवर्धन स्कीम अनाउंस की, उसके बेसिस पर भी हम कैटल डंग को भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ एनर्जी क्रॉप हेतु साउथ इंडिया में हम प्लांट्स लगा रहे हैं। हमारा मैनडेट यह है कि 80 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड का एमिशन करने से हम रोकेंगे और कॉप-26 में हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो कमिटमेंट दिया है, उसमें हम बहुत बड़े भागीदार हैं। आज जब हमारे 100 प्लांट्स चलेंगे, तो उससे 75 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 करोड़ लोगों को एमिशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा होगा। यह एक दूरदृष्टि है। इंदौर में 15 एकड़ प्लांट, जिसका माननीय प्रधान मंत्री जी ने 19 फरवरी को उद्घाटन किया था। जब प्लांट का कॉन्स्ट्रक्शन चल रहा था, तब आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी विजिट किया था। अगर हम देखें तो 5 हजार प्रोजेक्ट्स लगाने का जो टार्गेट है, वह पॉसिबल है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की डेट में जो प्राइजिंग मैकेनिज्म दी गयी है, हमारी बात रिकॉर्ड में है कि पीएनजी ने और स्टैंडिंग कमेटी के लिए, हम इस बात की प्रशंसा व्यक्त करते हैं कि इस मैकेनिज्म से प्रोजेक्ट्स से वायबल हैं, लेकिन जैसा कि हमारे कुलीग ने बोला कि जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर नहीं हो रहा है।

.....सर, ओवरऑल मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी सब पॉलिसीज हैं, दे आर इन प्लेस, उनका ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। यह दिन दूर नहीं है कि सचमुच वर्ष 2023 तक 5 हजार प्लांट्स का सपना जरूर साकार होगा। हम इसमें सक्षम हैं। हम लोग इस बात के लिए हैं और हम आगे से आगे इनिशिएटिव लेंगे। धन्यवाद"।

1.16 एसएएटीएटी में यथा परिकल्पित सीबीजी उत्पादन की उपलब्धि प्राप्त करने का भविष्य तथा संभावना और उसके लिए आवश्यक कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए, भारतीय बायो-गैस एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया;

"हम डिसेंट्रलाइज्ड गैस फील्ड्स की बात कर रहे हैं। हम यह चाह रहे हैं कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर पेट्रोलियम गैस का सब्सीट्यूशन, टू ए वैरी गुड एक्सटैंट, हम इसमें दे पाएं। हमने इस नाते कहा है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड गैस फील्ड्स होंगे। तमाम सदस्यों ने जो-जो समस्याएं बताई हैं, उनका इसमें समावेश होगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह एक बायो रिफाइनरी होगी। जैसे उसमें हमने यह कहा, मैं कोट करता हूँ कि यह सिर्फ बायोगैस प्लांट नहीं है, यह बायोगैस फर्टीलाइज़र प्लांट भी है। यह साथ में एक्सकेवेंजर है। सर, हम कितनी भी तरक्की कर लें, अगर हमको साफ-सफाई या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सारे वेस्ट को डिस्पोज़ करना है, जिससे हम स्वस्थ रह सकें तो गीले और गिरे पत्ते का बायोमास, इसके लिए केवल एक ही तकनीक है जो आज भी सस्ती है और वह है साध्य तकनीक। कुछ भी आयात नहीं करना है । वह बायोगैस टैक्नोलॉजी है। तो यह सफाई का काम करेगा। हम पॉल्युशन की बात करते हैं, पॉलयुशन एबेटमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात करते हैं, पीएम ने जो कमिट किया हुआ है, उसमें कितने पर्सेंट तक हम इसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको नए सिरे से, अच्छे तरीके से इंटिग्रेटिड तरीके से सोचने की जरूरत है। सर, इसमें हमने जो बातें लिखीं, पहले जो टाइटल इटसेल्फ है, उसमें हमने तमाम शब्दों का समावेश इसीलिए किया है ताकि एक ही टाइटल में यह पता लग जाए कि क्या-क्या इसमें इनक्लूडिड है। हम इससे कैमिकल्स बना सकते हैं। एक समय आएगा, अगर पैट्रोलियम में काफी कमी आई तो हमको कैमिकल्स के लिए बायोरिसोर्सेज़ पर वापस जाना पड़ेगा। वे सारे कॉन्सेप्ट हम अभी शुरू कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सर, यह देखें इस वाले को, बड़ी विचित्र बात है कि हम सबसे नए सेक्टर हैं, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जो दाम हमको दिया जा रहा है, इसको अभी एक-दो लोग कह रहे थे कि बढ़ा बढ़िया है। ज़रा तुलना कर लेते हैं। यहां पर हमें जो प्राइस दी जा रही है, इथेनॉल की कैलोरिफिक वैल्यू, बायोसीएनजी की कैलोरिफिक वैल्यू से हाफ है, लेकिन इस टेबल में देखें उनको हमसे ढाई गुना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन हीट वैल्यू हमसे आधी है तो करीब चार गुना पैसा हम इनको ज्यादा दे रहे हैं। हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो सीएनजी के साथ हम कम्पीट करते हैं, जिसमें सैकड़ों सालों से तमाम देशों ने, टैक्नोलॉजी ने, हमारी इंडियन ऑयल कम्पनीज़ ने, जिसमें भारत सरकार ने इनवेस्ट किया है, इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तब जा कर आज की तारीख में हम सीएनजी को इम्पोर्ट कर के, कुछ डॉमेस्टिक प्रोड्यूज़ कर के इस

लैवल पर दे पा रहे हैं। हमारे वाले सैक्टर के लिए वह इनवेस्टमेंट कहां से आएगा? जब तक वह नहीं आएगा यह खड़ा नहीं होगा। अगर यूक्रेन और ईरान जैसी लड़ाई हो गई तो हमारे डिफेंस के लिए, जो स्ट्रेटेजिक वैल रिक्वायरमेंट है, वही अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम डीसेंट्रलाइज़ गैस बना रहे हैं, बायोमास बेस्ड, वह स्ट्रेटेजिक फ्यूल हम इसमें पा सकते हैं, अदर दैन एम्पलॉयमेंट और सब जो हुआ वह तो होगा ही होगा, उसको तो हम डिनाइ ही नहीं करते हैं, लोकल लैवल पर डीसेंट्रलाइज़ लैवल पर। सर, इसमें पाएं कि हमको सबसे पूअरेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। 1.04 हमें दे रहे हैं और दूसरों को ढाई दे रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों?

.....उसमें यह है कि टैक्नोलॉजी सकी मिश्रित ईंधन फीडिंग और एकल ईंधन फीडिंग नहीं। आज, वे विकल्प हैं और यहीं पर प्रौद्योगिकियों के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होगी। यह इतना आसान नहीं है. तो कभी सिर्फ पराली के बेस पर हम नहीं कर सकते हैं। आगे हमने प्राइस में कहा है अभी जो प्राइस सतत में मिली हुई है, वह भी इन्होंने कम के करके आंका हुआ है। वह सिर्फ कैटलडंग और काओमैन्योर के ऊपर जो प्राइस आ सकती है, उस पर इन्होंने फिक्स किया है।

..... सर, 'इंटरवेन्शंस नीडेड' में हमने यह कहा कि हम लॉन्च करेंगे। तमाम मिशन्स लॉन्च हो गए। बायोमास मिशन, जिसमें जला देंगे, वह भी लॉन्च हो गया। बहुत सारे मिशन्स लॉन्च हो गए। यहां तक कि 'स्वच्छ भारत' मिशन भी लॉन्च हो गया। जब हम मंत्रालय में थे, वर्ष 2008 से हम यह कहते आ रहे हैं कि हमारे लिए बायोगैस फर्टिलाइज़र मिशन आप बना दीजिए। पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है कि आज तक बायोगैस फर्टिलाइज़र मिशन नहीं बना। खैर, अभी हमने उसे थोड़ा-सा मोडिफाई किया है कि अब हम उसको बायो-रिफाइनरी मिशन लॉन्च करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जो बायो-फ्यूएल पॉलिसी है, वह केवल लिक्विड फ्यूएल और गैसियस फ्यूएल की बात करती है। एम.एन.आर.ई. की जो बायो-फ्यूएल पॉलिसी थी, वह केवल लिक्विड फ्यूएल की बात करती थी। अभी भी बायो-फ्यूएल पॉलिसी में सॉलिड फ्यूएल इन्क्लूडेड नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि ठोस ईंधन, तरल ईंधन और गैस ईंधन और ये तीनों प्रकार के ईंधन हमारे बायोमास संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध हैं".

<u>एकल खिड़की</u> मंजूरी

1.17 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न सांविधिक मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है: -

1. □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ (□□□-□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□)
2. □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
3. □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□
4. □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□
5. □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□
6. □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□
7. □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□
8. □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□
9. □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□-□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□-□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□

1.18 समिति ने सीबीजी संयंत्रों के कार्यान्वयन में विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका और अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा परिकल्पित कदमों के बारे में पूछा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

> "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सतत पहल के तहत सीबीजी परियोजनाओं के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है। एमओपीएनजी ने जरूरत पड़ने पर पणधारक मंत्रालयों के साथ कई बैठकें की हैं और उन्हें कई पत्र लिखे हैं। एमओपीएनजी और इसके सार्वजनिक उपक्रमों, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के ठोस प्रयासों से उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव खाद को किण्वित जैविक खाद (एफओएम) और तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) के रूप में शामिल किया गया है; आरबीआई ने सीबीजी परियोजनाओं को ऋण देने वाले प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है; सीपीसीबी ने मामला दर मामला आधार पर सीबीजी परियोजनाओं को 'श्वेत श्रेणी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया है; एमएनआरई ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और

सत्यापन के लिए संस्थानों की सूची प्रदान की है; केनरा बैंक को सीबीजी गतिविधियों के लिए अग्रणी बैंक के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा, यह मंत्रालय अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्तीय योजना को जारी रखने के लिए एमएनआरई के साथ; डीएएंडएफडब्ल्यू एफओएम/एलएफओएम को बढ़ावा देने हेतु; उर्वरक विभाग से बाजार विकास सहायता प्राप्त करने और जैव-खाद के उठाव के आश्वासन हेतु; बाह्य वित्तीय सहायता के लिए विदेश कार्य विभाग; एमएनआरई के सीएफए को जारी रखने के लिए व्यय विभाग; राजस्व विभाग से सीएनजी के साथ मिश्रित सीबीजी में कर संबंधी मुद्दे के समाधान हेतु; एमएसडब्ल्यू आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से; डीएचआई के साथसीएनजी/ सीबीजी वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समन्वय कर रहा है ।"

1.19 समिति ने एसएटीएटी योजना के तहत सीबीजी संयंत्रों की स्थापना में राज्य सरकारों, शहरी नगर निकायों, स्थानीय निकायों आदि के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों को जानना चाहा, इस पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया है कि

"पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न पत्रों और कई बैठकों के माध्यम से राज्य सरकारों का समर्थन मांगा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों से सतत पहल के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए समन्वय समिति बनाने का अनुरोध किया है। वर्तमान में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है ताकि सीबीजी संयंत्रों के लिए वैधानिक अनुमोदन और नियामक मंजूरी लेने में आसानी के लिए चर्चा की जा सके। इंडियन ऑयल ने सीबीजी संयंत्र मालिकों की सहायता करने और मंजूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों की राजधानियों में नोडल अधिकारी तैनात किए हैं"।

1.20 समिति ने राज्य सरकारों, शहरी नगर निकायों, स्थानीय निकायों, आदि से सतत योजना के तहत सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के संबंध में अब तक की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहा, इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

"हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में सतत पहल के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। हरियाणा सरकार ने बायोमास की लगातर आपूर्ति को सक्षम करने के लिए राज्य में बायोमास क्लस्टरों को अधिसूचित किया है।

ओजीएमसी विभिन्न नगर निकायों, स्थानीय निकायों आदि के साथ समन्वय कर रही हैं और उनमें से कुछ ने अपने अधिकार क्षेत्र में सीबीजी संयंत्र लगाने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

सीबीजी संयंत्रों की अधिक स्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, नगर निकायों, स्थानीय निकायों आदि से सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों से निम्नलिखित समर्थकों का अनुरोध किया जाता है: -

1. □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
2. □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□
3. □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ (□□□□□□□□) □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
4. □□□□-□□□□ (□□□□□□/□□□□□□□□) □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□
5. □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□: (□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□) □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□
6. □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□□ □□□□ □□□□□□”□

1.21 समिति ने सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की किसी योजना के बारे में पूछा जिसके लिए मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया है कि

"इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों से सीबीजी संयंत्र और बायोमास के भंडारण के लिए भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। ओजीएमसी आवश्यकता के अनुसार इस मामले को राज्य सरकार के साथ भी उठा रही हैं। इंडियनऑयल ने भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों के साथ काम करने में एलओआई धारकों की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में नोडल अधिकारियों को नामित किया है।"

1.22 '□□□' □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□:

1. पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा गोबर-धन योजना स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जैव अपशिष्ट के रूपांतरण को बढ़ावा देती है जिसमें व्यक्तिगत घरेलू, समुदाय, संकुल और वाणिज्यिक सीबीजी परियोजनाएं शामिल हैं।

2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा की योजना) ने सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की। सीएफए योजना 31.3.2021 तक वैध थी।सतत पहल उद्यमियों को तेल और गैस विपणन कंपनियों द्वारा सीबीजी के शुरुआत और विपणन के साथ सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

1.23 समिति यह जानना चाहती थी कि क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीबीजी संयंत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकायों, उद्योग संघ के साथ कोई बैठक की है, जिसके संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय स्तर पर भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) के साथ और अन्य उद्योग निकाय साथ उद्योग स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गई हैं। सीबीजी पर जागरूकता पैदा करने के लिए उद्योग संघों के राज्य स्तरीय अध्यायों के साथ बैठकें भी की गई हैं।".

<u>सीबीजी संयंत्रों के लिए आशय पत्र (एलओआई)</u>

1.24 □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ '□□□' □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ :

कंपनी	जारी किए गए एलओआई की संख्या	भूमि जिसे अंतिम रूप दिया गया	वित्तीय समापन	सीबीजी संयंत्र चालू/बिक्री शुरू (सीबीजी संयंत्रों की संख्या)	सीबीजी बिक्री शुरू (खुदरा दुकानों की संख्या)	सीबीजी बिक्री शुरू (सीबीजी इंजेक्शन बिंदुओं की संख्या)
आईओसीएल	2249	156	37	18	31	0
बीपीसीएल	299	37	7	7	12	0
एचपीसीएल	413	64	28	3	1	0
गेल	255	45	18	6	1	1

आईजीएल	47	26	7	1	0	1
कुल	**3263**	**328**	**97**	**35**	**45**	**2**

1.25 समिति संयंत्रों को चालू करने में देरी के कारणों को जानना चाहती थी क्योंकि आवेदनों की संख्या 3263 है और केवल 35 ही पूरे हुए हैं, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया है कि

1. "□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□, □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□, □□□□□-19 □□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□ □□ 16 □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ 37 □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□
2. □□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□, □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□, □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□, □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□
3. □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□:
    क. कम लागत की वित्त व्यवस्था
    ख. नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय की सीएफए योजना का विस्तार
    ग. जैव खाद विपणन के लिए बाजार विकास संबंधी सहायता; उर्वरक विभाग द्वारा बेंचमार्क मूल्य निर्धारण और जैव खाद के उठान का आश्वासन
    घ. उचित मूल्य पर सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मजबूत बायोमास आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण
    ङ. सीएनजी आरओ से सीबीजी और विलोमतः और इसके साथ-साथ सीएनजी मिश्रित सीबीजी की बिक्री पर दोहरे कराधान के मुद्दे का समाधान "

एलओआई की रूपांतरण दर में सुधार के लिए आवश्यक कुछ प्रवर्तक निम्नानुसार हैं:

झ. सीबीजी परियोजनाओं का वित्तपोषण: कम मार्जिन और जोखिम के कारण, बैंक और वित्तीय संस्थान सीबीजी परियोजनाओं के बारे में संशय में हैं। इस क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए कम संपार्श्विक पर कम लागत का वित्त पोषण अनिवार्य है। इसके अलावा, कम ब्याज दरों और कम संपार्श्विक पर वित्त की उपलब्धता में सुधार के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के साथ जोखिम साझा करने की सुविधा शुरू करने की आवश्यकता है।

ञ. बायोमास/फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखलाः बायोमास स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के समर्थन की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित मूल्य पर लंबी अवधि के आधार पर फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार बायोमास एकत्रीकरण उपकरण पर सब्सिडी प्रदान करे; सीबीजी संयंत्रों के लिए बायोमास क्लस्टरों को अधिसूचित करना; सीबीजी संयंत्रों के जलग्रहण क्षेत्रों में बायोमास के एकत्रीकरण और भंडारण के लिए किसान उत्पादक संगठनों/कस्टम हायरिंग सेंटर्स (एफपीओ/सीएचसी) आदि को संलग्न करना और उन्हें बायोमास उपकरण के परिचालन खर्च पर प्रोत्साहन प्रदान करना; राज्य सरकार को अन्य फीड स्टॉक जैसे प्रेस मड, एमएसडब्ल्यू, सीवेज वाटर आदि से सीबीजी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

ट. जैव खाद विपणन: वर्तमान में जैव खाद (एफओएम/एलएफओएम) को उठाने के लिए कोई स्थापित तंत्र नहीं है जो सीबीजी संयंत्रों के लिए एक प्रमुख सह उत्पाद और राजस्व धारा है। उर्वरक विभाग से एफओएम की बिक्री, बेंचमार्क कीमत तय करने और उर्वरक कंपनियों द्वारा एफओएम को अनिवार्य रूप से उठाने के लिए उपयुक्त तौर-तरीकों पर बाजार विकास सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। कृषि समुदाय के बीच एफओएम/एलएफओएम को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, केवीके आदि को अनुसंधान, प्रदर्शन और विस्तार गतिविधियों को शुरू करना चाहिए।

ठ. भौतिक प्रोत्साहन: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रमुख प्रोत्साहनों/सब्सिडी में से एक है। हालांकि, एमएनआरई के अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत मार्च 2021 से आगे सीएफए की निरंतरता अभी भी लंबित है। एमएनआरई सीएफए जारी रखने के लिए अधिसूचना और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

ड. सीबीजी का सुनिश्चित उठाव: ओजीएमसी सीबीजी के उठाव के लिए दीर्घकालिक वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सरकार ने अतिरिक्त मात्रा में उठाव की सुविधा के लिए सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) खंडों के

लिए घरेलू गैस को सीबीजी के साथ मिलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार को सीबीजी की खपत बढ़ाने के लिए सीएनजी/सीबीजी वाहनों और ट्रैक्टरों को बढ़ावा देना चाहिए।

ढ. भूमि: राज्य सरकार द्वारा सीबीजी उत्पादकों को भूमि का शीघ्र आवंटन सीबीजी परियोजनाओं के विकास में सहायक होगा।

ण. दोहरे कराधान का मुद्दा: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट से छूट या एनजी/सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाने से दोहरे कराधान की समस्या का समाधान हो जाता है जब सीबीजी सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) क्षेत्रों में आता है और बेचा जाता है।

अन्य समर्थक: प्रारंभिक चरण के दौरान सीबीजी संयंत्रों पर राज्य विशिष्ट सब्सिडी; उद्यमियों को सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमति/पंजीकरण/अनुमोदन आदि प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना; सीबीजी संयंत्रों के लिए एकल खिड़की मंजूरी; राज्य विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों/कृषि संस्थानों में सीबीजी प्रौद्योगिकी, फीडस्टॉक प्रबंधन, खाद संवर्धन, विपणन, ओ एंड एम पर पाठ्यक्रम।

1.26 समिति ने आगे पूछताछ की कि क्या एलओआई की वैधता के लिए कोई अवधि तय की गई है जिसके लिए मंत्रालय ने लिखित उत्तर में कहा है कि

"हां, ओजीएमसी ने एलओआई जारी होने की तिथि से तीन माह से दो वर्ष के बीच वैधता की अवधि तय की है। इसके अलावा मामला-दर-मामला आधार पर विस्तार दिया जा रहा है"

1.27 समिति ने एलओआई जारी करने के लिए तेल पीएसयू द्वारा अपनाए गए तंत्र और मानदंडों को जानना चाहा, जिसके संबंध में मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि

"उद्यमी को चुने हुए संबंधित ओजीएमसी की वेबसाइट पर ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योग्यता मानदंड ओजीएमसी द्वारा तय किया गया है और ईओआई फ्लोट में उपलब्ध है। ओजीएमसी (आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईजीएल) द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति नीचे दी गई है। ईओआई आवेदकों को सतत पहल के तहत एलओआई प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 35 अंक प्राप्त करने होंगे।

क्रम संख्या.	योग्यता मानदंड	प्राप्तांक
(एक)	आवेदन की तिथि के अनुसार किसी भी क्षेत्र में फर्म के वर्षों के अनुभव की संख्या	अधिकतम15
		अंक
क)	5 वर्ष से अधिक या उसके बराबर	15
ख)	2वर्ष से अधिक या उसके बराबर,लेकिन 5 वर्ष से	10

	कम	
ग)	2 वर्ष से कम	5
(दो)	पिछले 10 वर्षों में पिछले अनुभव (आवेदन की तारीख के अनुसार) आपूर्ति सहित परियोजना निष्पादन , स्थापना, बायोगैस उत्पादन के लिए सुविधाओं की कमीशनिंग या किसी अन्य परियोजना कार्य में पिछला अनुभव जैसे ऊर्जा/स्वास्थ्य सेवा/सामाजिक कल्याण/बुनियादी ढांचे/बिजली/बायोमास/परिवहन।	अधिकतम 25 अंक
क)	5 से 10 करोड़ रु के बीच के निवेश के साथ न्यूनतम 1 परियोजना	25
ख)	2 से 5 करोड़ रु के बीच के निवेश के साथ न्यूनतम 1 परियोजना	15
ग)	1 से 2 करोड़ रु के बीच के निवेश के साथ न्यूनतम 1 परियोजना	10
घ)	1 करोड़ रु तक के निवेश के साथ न्यूनतम 1 परियोजना	5
(तीन)	टर्नओवर (पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत के अनुसार) लेखापरीक्षित बैलेंस शीट)	अधिकतम 30 अंक
क)	5 करोड़ रु से अधिक या उसके बराबर	30
ख)	3 करोड़ रु से अधिक या उसके बराबर, लेकिन 5 करोड़ रु से कम	20
ग)	1 करोड़ रु से अधिक या उसके बराबर, लेकिन 3 करोड़ रु से कम	10
घ)	1 करोड़ रु से कम	5
(चार)	तकनीकी दक्षताओं और टाई-अप	अधिकतम 30 अंक
क)	डाइजेस्टर पर प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ इन-हाउस तकनीकी जानकारी / टाई अप रखना	10
ख)	शुद्धिकरण प्रणाली पर प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ	10

	आंतरिक तकनीकी जानकारी / टाई अप रखना	
ग)	कंप्रेसर पर प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ आंतरिक तकनीकी जानकारी / टाई अप रखना	10

ईओआई प्राप्त होने पर, ओजीएमसी प्रस्तुत विवरण का मूल्यांकन करती है और सफल आवेदकों को एलओआई प्रदान करती है।

1.28 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या मंत्रालय ने उस परियोजना को शुरू न करने के कारणों के बारे में एलओआई धारकों के साथ कोई बैठक की है, जिसके संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि

> "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओजीएमसी ने सीबीजी परियोजनाओं की प्रगति पर एलओआई धारकों के साथ बैठकें की हैं। ओजीएमसी ने एलओआई धारकों के साथ समन्वय करने के लिए अधिकारियों की समर्पित टीम लगाई है। एलओआई धारकों/उद्यमियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर ओजीएमसी द्वारा दीर्घकालिक समझौतों के साथ सीबीजी के उठान के लिए सुनिश्चित मूल्य; उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव खाद को किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के रूप में शामिल करना; सीपीसीबी द्वारा 'श्वेत श्रेणी' के अंतर्गत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; आरबीआई द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण उत्पाद उपलब्ध कराया जाना शामिल हैं। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीबीजी के विपणन की सुविधा के लिए सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ सीबीजी के सह-मिश्रण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उनके मुद्दे को हल करने और सीबीजी परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एलओआई धारकों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है।".

1.29 **समिति जानना चाहती थी कि क्या चीनी मिलों को सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए जोड़ा गया है क्योंकि सीबीजी संयंत्रों को चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त फीडस्टॉक उपलब्ध हो सकता है, इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि :**

" सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी मिल मालिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय चीनी मिल संघ (आईएसएमए) के साथ बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। चीनी मिलों को 'सतत' पहल पर विवरण प्रदान करने के लिए दिनांक 22.01.2019 को चीनी उद्योग और भारतीय चीनी मिल संघ (आईएसएमए) के साथ बैठक आयोजित की गई थी। सीबीजी संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 05.10.2021 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिकों के लिए सीबीजी पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न जैव ईंधन और एथेनॉल मंचों के माध्यम से चीनी मिल मालिकों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती है ताकि उन्हें सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

विभिन्न स्तर पर बातचीत के आधार पर, सतत पहल के तहत चीनी मिल के प्रेस-मड को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करने वाले 9 सीबीजी संयंत्रों को चालू किया गया है। प्रेस-मड/स्पेंट वाश आधारित फीडस्टॉक वाले विभिन्न अन्य सीबीजी संयंत्र या तो निर्माणाधीन हैं या इस पर योजना बनाई जा रही है।"

<u>सीबीजी संयंत्रों को बैंकिंग सहायता :-</u>

1.30 समिति ने सीबीजी परियोजनाओं के लिए संस्थागत ऋण सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई पर चर्चा की और 'सतत' योजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए सीबीजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लाने की वांछनीयता की मांग की, इस संबंध में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

"□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□.

□□/□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□/□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□/□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□

क्रेडिट गारंटी योजना	ऋण/क्रेडिट योजना	मंत्रालय/विभाग
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□	□□□□□□□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□ □□□)	□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□ □□)	□□□□□ □□ □□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□ □□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□)	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□	□□□□□□□ □□□□□□□□□

1.31 जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सीबीजी परियोजनाओं को प्राथमिकता वाले ऋण के तहत शामिल किया है और यदि हां, तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सतत के अंतर्गत परियोजनाओं को कितना ऋण वितरित किया गया है, जिसके लिखित उत्तर में डीएफएस ने बताया कि:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ (□□□□□□□) □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□) □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ 100 □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□-□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□:

(एक) जैव-ईंधनों के उत्पादन, उनके भंडारण और वितरण अवसंरचना के लिए तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए ऋण।

(दो) संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को ऋण।

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□.

□□□□□□□□ □□□□□□□□□		□□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	18.08.2022 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□
13	169	185

1.32 समिति ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दर के बारें में जानना चाहा, डीएफएस ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

"आरबीआई के विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों पर लगाए गए ब्याज दर (आरओआई) को विनियमित किया गया है। चूंकि आरओआई नियंत्रण मुक्त है, संबंधित बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं।

बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीबीजी परियोजनाओं के मामले में ब्याज दर को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर)/रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) से जोड़ा गया है और यह उधारकर्ता की रेटिंग और सुरक्षा कवरेज पर निर्भर करता है।"

1.33 सीबीजी संयंत्रों को बैंकों से ऋण लेने में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से बताते हुए मैसर्स फीनिक्स इंडिया के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया:

"सर, मेन पॉइंट बैंकिंग सेक्टर से आता है। बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम दो-तीन चीजों का जिक्र करना चाहेंगे। सीनियर्स ब्रीफ कर देंगे। सर, सबसे पहले, जिसके पास एक से ज्यादा एलओआई हैं, जैसे मेरे पास एचपीसीएल के बहुत सारे एलओआई हैं। जिसके पास एक से ज्यादा एलओआई हैं, उनको बैंक से कहा जा रहा है कि आप एक-एक करके लोन एप्लाई करिए, उसको चुकता करिए, फिर दूसरा लोन पास होगा। अगर ऐसा है तो जिसके पास बीस एलओआई हैं और जैसे मेरे पास फिलहाल 54 एलओआई हैं। अगर हम इस तरह से लोन लेंगे तो हम मर जाएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट बनेगा। यह कैसे हो पाएगा? यह पहला पॉइंट है। मैं तीन-चार पॉइंट ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा पॉइंट कोलैटरल सिक्योरिटी का है। एक मार्जिन के बाद कोलैटरल सिक्योरिटी मांगी जा रही है कि कोलैटरल सिक्योरिटी के बिना बैंक लोन देना नहीं चाहती है। हालांकि, हम लोग जानते थे कि जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लॉज आया था, जो हम लोगों को पेपर भेजा गया था, उसमें यह क्लियर था कि कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लगेगी। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यह है कि हर जगह पर हर किसी को बैंक एंटरटेन नहीं कर रहा है। जिन-जिन बैंकों का जिक्र किया गया है, वहां बोला जा रहा है कि जहां पर प्लान बनेगा, उसके बगल वाली जो ब्रांच है, वहीं पर अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। मैं खुद ऐसी 50 ब्रांचेज़ को जानता हूं। मैं खासकर बिहार और झारखण्ड स्टेट की बात कर रहा हूं। इसमें बैंक एंटरटेन नहीं कर रहा है"।

<u>सीबीजी संयंत्रों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति</u>

1.34 समिति ने संपार्श्विक प्रतिभूति और सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण का विवरण मांगा है, मंत्रालय परियोजना वित्तपोषण के लिए बैंकों के नियमों और शर्तों के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है और यह भी कि क्या वित्त संस्थानों द्वारा संपार्श्विक पर ली गई सीबीजी गैस के ऑफटेक के लिए ओएमसी और सीबीजी संयंत्र के बीच खरीद करार है, जिसके लिए डीएफएस ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

"सामान्य रूप से परियोजना वित्तपोषण के लिए बैंकों के नियमों और शर्तों की जानकारी निम्नानुसार है:

उद्योग और परियोजना के प्रकार के आधार पर आवश्यकता और पहलू मामले-दर-मामले के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। बैंक विभिन्न पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद परियोजना के वित्तपोषण का प्रस्ताव लेते हैं जैसे:

(एक) ऋण-इक्विटी अनुपात
(दो) परियोजना लागत
(तीन) वित्तपोषण के साधन
(चार) अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं (तकनीकी पहलू, संयंत्र और मशीनरी, कच्चा माल, बिजली, पानी, जनशक्ति, वैधानिक अनुमोदन, आदि),
(पाँच) विपणन क्षमता
(छह) वित्तीय व्यवहार्यता
(सात) उत्पाद ऑफटेक के लिए व्यवस्था
(आठ) परियोजना से नकदी का प्रवाह
(नौ) पुनर्भुगतान तंत्र आदि।

(ख). सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग करते हैं

- सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, जो परियोजना भूमि की बंधकता के अधीन है। ऐसे मामलों में, जहां परियोजना भूमि की प्राथमिक सुरक्षा गिरवी रखने योग्य नहीं है, जोखिम निवारक उपाय के रूप में संपार्श्विक की एक समान राशि निर्धारित की गई है।

(ग) . सीबीजी गैस के ऑफटेक के लिए ओएमसीज और सीबीजी संयंत्र के बीच खरीद करार पर संपार्श्विक के रूप में विचार।

"सीबीजी गैस के ऑफटेक के लिए ओएमसी और सीबीजी संयंत्र के बीच खरीद करार को वित्तीय संस्थानों द्वारा संपार्श्विक के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि, सीबीजी के ऑफटेक के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता/करार निश्चित रूप से ओएमसी द्वारा सीबीजी परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा।""

1.35 समिति जानना चाहती थी कि क्या मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों से 'सतत' के लिए सस्ते ऋण प्राप्त करने की योजना बना रहा है, डीएफएस ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

> "“अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण देने से संबंधित सभी मामले वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा देखे जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग के साथ विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसी एजेंसियों से ऋण लेने के मामले को उठा सकता है”।"

1.36 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या नाबार्ड सीबीजी परियोजनाओं को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को पुनर्वित्त कर रहा है, डीएफएस ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

> "भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण परिभाषा के अंतर्गत पात्र बनाई गई सभी गतिविधियों को नाबार्ड द्वारा पात्र ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्त किया जा सकता है। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, उनके भंडारण/अवसंरचना का वितरण और संपीड़ित जैव गैस संयंत्र की स्थापना भी नाबार्ड के पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं”।"

1.37 समिति ने एलओएल धारक और ओएमसी/सीजीडी के बीच हुए करार में एस्क्रो क्लॉज जोड़ने की व्यवहार्यता के बारे में जानना चाहा, एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

> "एलओआई धारक और ओएमसी के बीच वाणिज्यिक करार में एस्क्रो क्लॉज को भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर सीबीजी करार को बैंक योग्य बनाने के लिए शामिल किया गया है । एस्क्रो क्लॉज में एस्क्रो खाते का प्रावधान है, जहां सीबीजी की बिक्री से प्राप्त राशि ओएमसी द्वारा जमा की जाएगी। एस्क्रो खाते का उपयोग पहले बैंकों को ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा और बाद में सीबीजी संयंत्र के मालिक को भुगतान किया जाएगा। यह सीबीजी संयंत्रों की ऋण अदायगी और बैंक योग्यता सुनिश्चित करेगा।"

1.38 समिति ने उल्लेख किया कि सीबीजी उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति की गंभीर शर्तें लगा रहे हैं, डीएफएस के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> "…..हर लोन बैंक उस प्रोजेक्ट की कॉमर्शियल वायबिल्टी की बेसिस पर देता है। चाहे वे 40 हों, एक हो या पांच हों, हर प्रोजेक्ट को नॉर्मली इवैल्यूएट किया जाता है कि वह प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। हो सकता है कि किसी एक

आंत्रेप्रिन्योर ने अगर इकट्ठे 40 एलओआई लिए हों तो बैंक को ऐसा लगता हो कि इनमें से सारे 40 प्रोजेक्ट्स अभी वायबल नहीं हैं और उन्होंने सोचा हो कि आप एक प्रोजेक्ट का चला लीजिए, उसकी वायबिल्टी दिखा दीजिए।

उस एक प्रोजेक्ट के बाद बैंक में भी कांफिडेंस बनता है कि हाँ, यह व्यक्ति इस तरह के बिजनेस को चला सकता है, तो हम अगले लोन के लिए सोचें। ….सर, आपने जो दूसरी बात लैण्ड को कोलैट्रल रखने के बारे में कही है, हमारे पास बैंकों से जो फीडबैक है, वह यह है कि इस तरह के जो ज्यादातर एलओआई होल्डर्स हैं, उनके पास लीज़होल्ड लैण्ड है। अगर आपके पास लीज़होल्ड लैण्ड है तो उसे कोलैट्रल परपज के लिए मॉर्गेज नहीं किया जा सकता है। बैंक के लिए दो चीजें आती हैं, यह लोन की वैल्यू के ऊपर होता है कि कितना लोन दिया जा रहा है तो उसके अनुसार बैंक चाहेगा कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में आपकी प्लांट एंड मशीनरी उनके पास हाइपोथिकेट हो। उसके अलावा अगर कोई गैप रह जाता है तो उसके लिए कोई कोलैट्रल प्रॉपर्टी मांगते हैं। यह बैंकिंग का अपना तरीका है, उसमें उन्हें एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। उसके लिए अक्सर लैण्ड की बात की जाती है। अगर लैण्ड लीज़होल्ड है, जिसके ऊपर वह अपना प्लांट लगा रहा है तो लीज़होल्ड लैण्ड को बैंक सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रख सकता है। उसके लिए फ्रीहोल्ड लैण्ड चाहिए। इसलिए अक्सर प्लांट प्रॉपर्टी के अतिरिक्त लैण्ड कीजरूरत उनको पड़ जाती है। सर, आपने इसमें एक अन्य मुद्दा बताया था, जो डायरेक्टली हमसे

संबंधित नहीं है, आपने क्रेडिट गारन्टी फण्ड की बात कही थी। यदि क्रेडिट गारन्टी फण्ड जैसी कोई चीज बनती है तो उससे भी बैंकों में थोड़ा कांफिडेंस आएगा कि अगर लोन में डिफाल्ट होता है तो शायद उनको उतना कोलैट्रल न लेना पड़ा और उसमें उनके पैसे की भरपाई होने की कोई उम्मीद बनती है। यही मेरी टिप्पणी है"।

<u>सीबीजी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण:-</u>

1.39 जब समिति ने संयंत्र और मशीनरी के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण और इरेडा द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्त योजनाओं के बारे में जानना चाहा, तो एमएनआरई के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"महोदय, एमएनआरई के दृष्टिकोण से, पिछली योजना 'वेस्ट-टू-एनर्जी', जिसमें सीबीजी एक घटक था, की वैधता 31 मार्च, 2021 तक थी। उसके बाद, हम राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के साथ वित्त मंत्रालय के पास गए । हमें सितंबर 2022 में यह निर्णय मिला कि हम केवल पहले की देनदारियों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम जारी रख सकते हैं। **जो लाइबिलिटीज क्रिएट की गई थीं, उसके**

लिए हम पांच सौ करोड़ रुपये दे रहे हैं। लेकिन, महोदय, हमने अपना फॉलोअप जारी रखा।.**जून महीने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ईएफसी वापस बुलाई थी। उसमें वह स्कीम अप्रूव हो चुकी है।** अब, हम अतिरिक्त परिव्यय के साथ कार्यक्रम जारी रखेंगे जिसमें घटक के रूप में सीबीजी भी होगा। **उसकी जो गाइडलाइन्स हैं, वे अभी अप्रूवल स्टेज में हैं। वह भी जल्दी रिलीज हो जाएगी।**

महोदय, दूसरी बात, आपने इरेडा का उल्लेख किया है। इरेडा सीबीजी परियोजनाओं के लिए भी ऋण दे रहा है.**अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं,** पीएफसी, आरईसी सहित। इसके लिए भी हम सिफारिश करेंगे।. लेकिन एमएनआरई के अधीन आने वाला इरेडा निश्चित रूप से सीबीजी परियोजनाओं के लिए ऋण दे रहा है।

सर, हमने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बॉयोएनर्जी में स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने अभी उस स्टैंडर्ड्स का फर्स्टड्राफ्ट दिया है। हमने इसे बीआईएस को सौंप दिया है। **वह बी आईएस के रिव्यू में है। उसके बाद, एक प्रोसेस से,** हम सीबीजी के लिए भी मानक बनाएंगे।".

1.40 जब समिति ने जानना चाहा कि **क्या इरेडा सीबीजी परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण का पुर्नवित्तपोषण कर रहा है,** मंत्रालय ने बताया कि:

"इरेडा ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ग्रीनफील्ड सीबीजी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि सीबीजी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने की इरेडा की नीति में ग्रीनफील्ड और शुरू की गई दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। तथापि, चालू कीगई परियोजनाओं का पुर्नवित्तपोषण करने के लिए अभी तक किसी कंपनी ने इरेडा से संपर्क नहीं किया है।""

<u>सीबीजी संयंत्रों की लागत</u>

1.41 समिति मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीबीजी संयंत्र की लागत और सीबीजी संयंत्रों के लिए निर्माण अवधि के बारे में जानना चाहती थी, इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत काफी हद तक क्षमता, फीडस्टॉक,प्रौद्योगिकी, स्थान और अन्य कारकों के अनुसार भिन्न होती है। विभिन्न फीडस्टॉक्स के आधार पर संभावित परियोजना लागत नीचे दी गई है:

क्र. सं.	फीडस्टॉक	संयंत्र क्षमता	सीबीजी आउटपुट	परियोजना लागत
1	धान की भूसी	100 टीपीडी	12 टीपीडी	70-80 करोड़

2	प्रेस मड	100 टीपीडी	5 टीपीडी	25-30 करोड़
3	गाय का गोबर/ चिकन लिटर	100 टीपीडी	5 टीपीडी	~31 करोड़

□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ 12-18 □□□□□ □□□

1.42 समिति ने देश में प्रौद्योगिकी, उपकरणों, कुशल जनशक्ति, कच्चे माल आदि की उपलब्धता के संबंध में, एसएटीएटी के तहत सीबीजी संयंत्रों के बारे में मंत्रालय/पीएसयू द्वारा प्रस्तुत जानकारी/विवरण के बारे में जानना चाहा, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया है:

""सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने प्रौद्योगिकी, उपकरणों, कच्चे माल आदि की उपलब्धता के बारे में विवरण देते हुए सतत के तहत सीबीजी संयंत्रों के बारे में जानकारी/विवरण तैयार किया है। इसका विवरण नीचे दिया गया है: -

1. इंडियन ऑयल ने सतत पहल (https://satat.co.in) पर एक डेडीकेटेड पोर्टल बनाया है। पोर्टल में सतत पहल दस्तावेजों, सीबीजी संयंत्रों के वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, सीबीजी पर सक्षमकर्ताओं, सरकारी नीतियों, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों, खाद विपणन संबंधी विवरण मौजूद हैं। पोर्टल में सीबीजी प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण पर विस्तृत शिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध है। पोर्टल पर संयंत्र संचालन और रखरखाव, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, प्रौद्योगिकी, खाद, आदि में सीखने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं और नवीनतम विवरणों के साथ इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

2. सीबीजी पर एक विस्तृत श्वेत-पत्र तैयार किया गया है जिसमें सीबीजी उत्पादन प्रक्रिया, प्रौद्योगिकियों, सक्षमकर्ताओं आदि का विवरण दिया गया है। इसे सतत पहल पर रुचि की अभिव्यक्ति के हिस्से के रूप में उपलब्ध करवाया गया है।""

<u>सीबीजी की कीमत</u>

1.43 समिति ने सीबीजी के विपणन/बिक्री के लिए ओएमसीज द्वारा लक्षित विभिन्न स्त्रोतों से प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए तुलनात्मक विवरण मांगा है, जिस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि:

"तेल और गैस कंपनियों ने सीबीजी के लिए आईएस 16087: 2016 मानकों के अनुसार और 250 बार-दबाव तक संकुचित और कैस्केड में खुदरा बिक्री केन्द्रों में

वितरित किए जाने पर परिशुद्ध रुप से 46 रुपए/किग्रा+लागू कर निर्धारित किया है। सीबीजी की अधिप्राप्ति मूल्य दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2024 तक वैध रहेगा। दिनांक 01.04.2024 से अधिप्राप्ति मूल्य में आवधिक संशोधन होगा, तथापि न्यूनतम अधिप्राप्ति मूल्य दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2029 की अवधि के लिए 46 रुपए/किग्रा+लागू कर रुपये से कम नहीं होगा।

कम्प्रेशन चार्ज सहित सीबीजी की कीमत 46 रुपये प्रति किलोग्राम + जीएसटी लगभग 12.4 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू है।

पीपीएसी द्वारा घोषित घरेलू प्राकृतिक गैस (01.10.2021 से 31.03.2022) की कीमत 2.90 डॉलर/एमएमबीटीयू है।.

प्लैट्स एलएनजी दैनिक दिनांक 24.01.2022 के अनुसार डीईएस वेस्ट इंडिया मार्कर का संचयी मासिक औसत मूल्य 20.538 अमरीकी डालर / एमएमबीटीयू है।"

1.44 समिति ने ओजीएमसी द्वारा सीबीजी संयंत्रों को देय मूल्य के बारे में जानना चाहा, जिस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि:

"'सतत' पहल के अनुसार, आईएस 16087: 2016 मानकों के अनुकूल शोधित, 250 बार प्रेसर पर संपीड़ित और ओएमसी रिटेल आउटलेटों को वितरित कि सीबीजी का खरीद मूल्य गया था, 1.6.2022 से संशोधित किया गया था और इसका ब्यौरा निम्नवत है:-

- सीबीजी का न्यूनतम खरीद मूल्य 31.3.2029 तक की अवधि के लिए 46 रुपये प्रति किलोग्राम + लागू करों से कम नहीं होगा।
- बाजार में सीबीजी का खुदरा बिक्री मूल्य सीएनजी के आरएसपी (जैसा कि अधिकृत सीजीडी ऐन्टिटि द्वारा तय किया गया है) के बराबर होगा।
- सीबीजी खरीद मूल्य के लिए निम्नलिखित स्लैब तय किए गए हैं, जो आईएस 16087 2016 विनिर्देश (या इसके नवीनतम संस्करण) के अनुसार किसी भी दूरी (75 किमी एक तरफा तक) पर स्थित ओजीएमसी के खुदरा आउटलेट पर वितरित सीबीजी का खरीद मूल्य होगा और 250 बार प्रेसर पर संपीड़ित होगा:

क्रम सं.	**स्लैब में सीबीजी का निम्न खुदरा बिक्री मूल्य**	**स्लैब में सीबीजी का उच्च खुदरा बिक्री मूल्य**	**सीबीजी का खरीद मूल्य**	**सीबीजी का खरीद मूल्य**
	कर सहित	**कर सहित**	**जीएसटी के**	**जीएसटी सहित**

			बिना	
	रु./किलोग्राम	**रु./किलोग्राम**	**रु./किलोग्राम**	**रु./किलोग्राम**
1	**सीबीजी का खुदरा बिक्री मूल्य 70 तक**		**54.00**	**56.70**
2	70.01	75.00	55.25	58.01
3	75.01	80.00	59.06	62.01
4	80.01	85.00	62.86	66.01
5	85.01	90.00	66.67	70.01
6	90.01	95.00	70.48	74.01
7	95.01	100.00	74.29	78.01

***** नोट: 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक स्लैब में और वृद्धि के लिए, खरीद मूल्य को उपरोक्त के अनुसार विस्तारित किया जाएगा। यदि सीबीजी का आरएसपी 70 रुपये प्रति किलोग्राम से कम हो जाता है, तो खरीद मूल्य निर्धारण में तत्काल संशोधन होगा।

सीबीजी संयंत्र से 75 किमी (एक तरफ की दूरी) से अधिक सीबीजी के परिवहन के लिए अतिरिक्त परिवहन लागत का भुगतान आपसी चर्चा के आधार पर सहमत स्लैब के अनुसार अलग से किया जाएगा:-

सीबीजी संयंत्र से रिटेल आउटलेट/सेलिंग प्वाइंट की एक तरफा दूरी	**सीबीजी के परिवहन की अतिरिक्त लागत रुपये प्रति किलोग्राम (जीएसटी के बिना)**
75 **किमी** से ऊपर–100 **किमी** तक	5.0
100 **किमी** से ऊपर–125 **किमी** तक	6.4

125 **किमी** से ऊपर- 150 **किमी** तक	7.8

सीबीजी-सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन - सीबीजी-सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को दी जाने वाली बायोगैस की खरीद मूल्य 1082 रुपये / एमएमबीटीयू और इसके साथ कर अलग से है। इसके अलावा, उत्पादकों को आपूर्ति किए गए बायोगैस/सीबीजी के लिए लागू संपीड़न शुल्क/पाइपलाइन संपीड़न शुल्क/परिवहन शुल्क प्राप्त होंगे।''

1.45 समिति ने यह जानना चाहा कि फीडस्टॉक आधार या गैस के उष्मीय मान के आधार पर सीबीजी मूल्य तय करने का तंत्र क्या है, तो इसके लिए एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

> "''सीबीजी-सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को भुगतान किए जाने वाले सीबीजी के खरीद मूल्य को 01.06.2022 से संशोधित कर 1082 रुपये/एमएमबीटीयू कर दिया गया है। यह कीमत ~ 46 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर है, जिसमें संपीड़न शुल्क (यानी 54 रुपये / किलोग्राम - 8 रुपये / किलोग्राम) शामिल नहीं है, जिसमें बायोगैस में मीथेन सामग्री ~ 90% है। इसके अलावा, सीबीजी उत्पादकों को खुदरा बिक्री केन्द्र पर सुपुर्दगी के लिए 8 रुपये प्रति किलोग्राम (200-250 बार प्रेसर पर) का बायोगैस कम्प्रेशन चार्ज या सीजीडी ऐन्टिटि के एमडीपीई/स्टील पाइपलाइन में इंजेक्शन लगाने के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम का कम्प्रेशन चार्ज मिलेगा।
>
> सीबीजी उत्पादकों को बायो-सीएनजी/बायोमिथेन के खरीद मूल्य में जैव-सीएनजी/बायोमिथेन की शुद्धता (मीथेन सामग्री का उच्च प्रतिशत) के आधार पर प्रो रेटा आधार पर वृद्धि की जाएगी। "

1.46 समिति ने सीएनजी की कीमत के बारे में और मंत्रालय की प्राकृतिक गैस के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उच्च अस्थिरता को देखते हुए आवधिक अंतराल पर मूल्य निर्धारण की समीक्षा करने की योजना के बारे में जानना चाहा, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

> "''सीबीजी मूल्य एसएटीएटी में भाग लेने वाले ओजीएमसी द्वारा तय किए जाते हैं। वर्तमान सीबीजी मूल्य निर्धारण तंत्र के अनुसार, सीबीजी मूल्य निर्धारण को बाजार में सीएनजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) के साथ अनुक्रमित किया जाता है। प्राकृतिक गैस की कीमत में वृद्धि के साथ, सीएनजी के आरएसपी में वृद्धि होगी और ऊपर उल्लिखित स्लैब के अनुसार सीबीजी खरीद मूल्य में स्वचालित वृद्धि होगी। तदनुसार, सीएनजी मूल्य में वृद्धि होने के बाद सीबीजी खरीद मूल्य की स्वचालित समीक्षा और वृद्धि होगी।

सीबीजी का खरीद मूल्य एक वर्ष के लिए या अगले संशोधन तक, जो भी पहले हो, वैध होगा (जो सीएनजी मूल्य आदि में गिरावट से उत्पन्न हो सकता है)। यदि सीएनजी का आरएसपी 70 रुपये प्रति किलोग्राम से कम हो जाता है, तो सीबीजी खरीद मूल्य की उद्योग के आधार पर समीक्षा की जाएगी।""

<u>गैस सिंक्रनाइज़ेशन योजना</u>

<u>गैस-पाइपलाइनों के लिए बायो-मीथेन इंजेक्शन</u>

1.47 समिति ने ओएमसी और गेल द्वारा क्रमशः एसएटीएटी योजना और गैस सिंक्रनाइज़ेशन योजना के तहत सीबीजी की कीमत में अंतर जानना चाहा, जिस पर एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

"सीबीजी सीजीडी सिंक्रोनाइज़ेशन स्कीम के तहत गेल द्वारा सीबीजी का खरीद मूल्य पूरे भारत में एक ही है जो संपीड़न शुल्क घटक को छूट देता है। इसे एसएटीएटी पहल के तहत कैस्केड (200-250 बार पर) के माध्यम से सीबीजी की बिक्री के मामले में शामिल किया गया है।""

1.47क समिति ने पूछा कि क्या सीजीडी क्षेत्र को कुल घरेलू गैस आपूर्ति में सह-मिश्रित सीबीजी के मिश्रण के लिए चरण-वार (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) योजनाएं हैं, जिसके लिए एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"(एक) "सीजीडी ऐन्टिटि को घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अखिल भारतीय आधार पर एक समान आधार मूल्य (यूबीपी) पर की जाती है। तथापि, पीएनजी/सीएनजी का खुदरा बिक्री मूल्य सीजीडी कंपनियों द्वारा उनकी संबंधित लागत संरचना और मार्जिन, कैपेक्स, ओपेक्स, मांग आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(दो) सीबीजी-सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन स्कीम में सीजीडी क्षेत्र के सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) सेगमेंट को आपूर्ति की जाने वाली कुल घरेलू गैस में सह-मिश्रित सीबीजी की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचने की परिकल्पना की गई है। इस योजना की समीक्षा तीन साल की अवधि के बाद की जाएगी या जब भी सीजीडी क्षेत्र में सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) के समग्र मिश्रण में सीबीजी का प्रतिशत 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जो भी पहले हो।"

1.48 समिति ने सीबीजी के संयंत्र से इंजेक्शन बिंदुओं तक बुनियादी ढांचे के परिवहन के बारे में और सीबीजी संयंत्रों के साथ पाइपलाइन बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने की योजना के बारे में जानना चाहा , जिसके लिए एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"जहां तक सीबीजी-सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन स्कीम के तहत सीजीडी नेटवर्क में सीबीजी लगाने के लिए कनेक्टिविटी का सवाल है, सीबीजी प्लांट को सीजीडी नेटवर्क से जोड़ने और प्लांट से इंजेक्शन प्वाइंट तक 10 किलोमीटर की दूरी तक सहायक गतिविधियों की जिम्मेदारी बायोगैस/सीबीजी उत्पादकों की होगी। इस संबंध में, यह भी परिकल्पना की गई है कि जीए में सीजीडी नेटवर्क के प्रगतिशील विकास के साथ कनेक्टिविटी के मुद्दे पर, विशेष रूप से 10 किमी और उससे अधिक की दूरी के लिए ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, सीजीडी संस्थाओं को आगामी सीबीजी संयंत्रों के साथ तालमेल में अपनी पाइपलाइन और अन्य बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के बारे में संवेदनशील बनाया जा रहा है ताकि उनके नेटवर्क में सीबीजी के इंजेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके।"

1.49 समिति ने प्राकृतिक गैस ग्रिड में बायोमिथेन इंजेक्शन कोटा और सीएनजी के लिए की गई पहलों के बारे में जानना चाहा, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

""सीबीजी के इंजेक्शन के लिए गेल सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) क्षेत्रों में बिक्री के लिए सीबीजी को स्थानीय सीजीडी नेटवर्क में मिलाने के लिए सीबीजी सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन स्कीम लेकर आई है। वर्तमान में, सीबीजी सम्मिश्रण सीएनजी की खपत का 1% से कम है, जो उत्तरोत्तर 10% तक जाने की उम्मीद है क्योंकि अधिक से अधिक सीबीजी संयंत्र चालू हो गए हैं। यह मंत्रालय सीबीजी-सीजीडी सिंक्रनाइज़ेशन स्कीम को और सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रहा है।"

1.50 समिति ने सीबीजी द्वारा ओएमसीज को विभिन्न स्थानों पर गैस की सुपुर्दगी के लिए अलग-अलग मूल्य तंत्र के बारे में जानना चाहा, जिस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

"तेल और गैस कंपनियों ने सीबीजी के लिए आईएस 16087: 2016 मानकों के अनुसार और 250 बार-दबाव तक संकुचित और कैस्केड में खुदरा बिक्री केन्द्रों (25 किमी. तक) में वितरित किए जाने पर परिशुद्ध रुप से 46 रुपए/किग्रा+लागू कर निर्धारित किया है। सीबीजी की अधिप्राप्ति मूल्य दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2024 तक वैध रहेगा। दिनांक 01.04.2024 से अधिप्राप्ति मूल्य में आवधिक संशोधन होगा, तथापि न्यूनतम अधिप्राप्ति मूल्य दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2029 की अवधि के लिए 46 रुपए/किग्रा+लागू कर रुपये से कम नहीं होगा।

सतत पहल के तहत उपरोलिखित मूल्य निर्धारण पूरे देश में एक समान है।"

1.51 समिति ने सीबीजी खरीदने के लिए दी जाने वाली कीमत निवेशकों के लिए विशेष आकर्षण/सुविधा के बारे में जानना चाहा, जिस पर एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

> ""सतत पहल के तहत मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप 16 सीबीजी संयंत्र चालू हो गए हैं तथा 37 संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। तथापि, विभिन्न मंचों पर उद्यमियों ने सतत के तहत सीबीजी अधिप्राप्ति मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया है।""

मौखिक साक्ष्य के दौरान सीबीजी मूल्य निर्धारण के बारे में विस्तार से बताते हुए फीनिक्स इंडिया के प्रतिनिधि ने बताया कि:

> "..... गैस का मूल्य निर्धारण अच्छा है और हमें इससे कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि अभी जैव खाद का कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए, मैं सुझाव दे रहा था कि यदि हमें उत्पादित जैव-खाद के 4 से 6 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच किसी भी चीज़ की कीमत मिल रही है, तो यह व्यवसाय के मामले को बेहद व्यवहार्य बना देगा। यदि इसके ऊपर कार्बन मूल्य है, तो यह निश्चित रूप से इसे बहुत आकर्षक बनाता है। लेकिन, हमें एक-एक कर कदम बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले जैव-खाद समावेशन और स्वीकृति की जानी चाहिए।"

1.52 □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□-□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□/□□□□□□) □□□ □□□□ □□□/□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□:

> "घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सीजीडी संस्थाओं को अखिल भारतीय आधार पर एकसमान आधार मूल्य (यूबीपी) पर की जाती है। हालांकि, पीएनजी/सीएनजी का खुदरा बिक्री मूल्य सीजीडी संस्थाओं द्वारा उनकी संबंधित लागत संरचना और किसी विशेष जीए में मार्जिन, कैपेक्स, ओपेक्स, मांग आदि के आधार पर तय किया जाता है।""

1.53 समिति ने यह पूछा कि ओएमसी द्वारा सीबीजी के लिए गुणवत्ता विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं और गुणवत्ता की जांच कैसे की जाती है, जिसके बारे में एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"सीबीजी संयंत्र द्वारा आपूर्ति की गई सीबीजी की गुणवत्ता ऑटोमोटिव ग्रेड की होती है और आईएस 16087:2016 मानकों या इसके नवीनतम संस्करण के अनुरूप होती है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित बातों का भी पालन किया जाएगा:

(एक) सीबीजी भंडारण और वितरण प्रणाली में आने वाले तापमान और दबाव की पूरी श्रृंखला में तरल पदार्थों से मुक्त होगा

(दो) सीबीजी कणिकीय पदार्थ जैसे गंदगी, धूल आदि से मुक्त होगा।

(तीन) वितरित किए गए सीबीजी को स्थानीय वितरण में पाए जाने वाले स्तर के समान सुगंधित किया जाएगा (संदर्भ आईएस 15319)

"सीबीजी संयंत्रों के पास ओजीएमसी को दिए जाने वाले सीबीजी के प्रत्येक कास्केड की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन गैस क्रोमैटोग्राफ/गैस एनालाइजर और सभी प्रासंगिक परीक्षण उपकरण हैं जो उपर्युक्त बीआईएस मानदंडों के सभी मानकों को पूरा करते है। सीबीजी संयंत्र के मालिक द्वारा विधिवत प्रमाणित परीक्षण रिपोर्ट/गुणवत्ता प्रमाण पत्र सीबीजी आपूर्ति के प्रत्येक कास्केड के साथ होता है।"

1.54 समिति ने विभिन्न फीडस्टॉक्स के आधार पर सीबीजी के मूल्य निर्धारण में अंतर जानने की इच्छा व्यक्त की, एवर एनवायरो के प्रतिनिधि ने बताया कि

"यह फीड स्टॉक टू फीड स्टॉक डिपेंड करता है। पराली में आउटपुट ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट है। जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में है, अगर मेरे पास 100 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, तो उससे 3.2टन गैस निकलेगी और अगर मेरे पास 100 टन पराली है तो उससे 14 टन गैस निकलेगी। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, जैसे मैं तो रॉयल्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लांट इतना बड़ा है। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है, नंबर वन, वह प्लांट साइज पर डिपेंड करती है, छोटा प्लांट वायबल नहीं है। नंबर टू, आपका ऑफ्टेक कितनी दूरी पर है। आज जो हमारी स्कीम आयी है, वह 75 किलोमीटर तक का एक रेट एक समान है। किसी का अगर 10 किलोमीटर है तो उसके लिए वायबल हो जाएगा, लेकिन अगर उसे 75

किलोमीटर जाना है तो रेट वायबल नहीं होगा। यह टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपके प्लांट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेन्डेंट है, 2.5 रुपये का कोई मतलब ही नहीं है। अगर 2.5 रुपये होता तो आज 5 लाख प्लांट लग जाते"।

1.55 समिति ने संभावित वास्तविक उपभोक्ताओं और सीबीजी के कैलोरी वैल्यू के बारे मेंपूछा, जिसके संबंध में एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

"पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के प्रतिस्थापन के लिए सीबीजी के संभावित ग्राहक वाहन और उद्योग हैं। एलपीजी के प्रतिस्थापन के रूप में वाणिज्यिक ग्राहकों को सीबीजी को भी बेचा जाता है।''

"सीबीजी और प्राकृतिक गैस के कैलोरी वैल्यू इस प्रकार हैं:

सीबीजी के लिए विशिष्ट कैलोरी वैल्यू रेंज 8100-8800 केसीएएल/एसएम3 (जीसीवी) है।

प्राकृतिक गैस (घरेलू और आयातित) के लिए विशिष्ट कैलोरी वैल्यू रेंज 9150-9800 केसीएएल /एसएम3 है।"

<u>सीबीजी उद्योग संबंधी कराधान संरचना</u>

1.56 समिति, सीबीजी और इसके उप-उत्पादों जैसे किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के करों के बारे में जानना चाहती थी। इसके युक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

''वर्तमान में, सीबीजी/बायोगैस पर 5प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। ब्रांडेड और पैक्ड किण्वित जैविक खाद पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। हालांकि, प्राकृतिक गैस जीएसटी के बाहर है और राज्य वैट/केंद्रीय बिक्री कर उस पर देय हैIइसके अलावा, प्राकृतिक गैस को सीएनजी में बदलने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता हैI तदनुसार, जब बायोगैस को सीएनजी में संपीड़न के लिए प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जाता है, तो उस पर बायोगैस पर लगने वाले जीएसटी के अलावा उत्पाद शुल्क और वैट लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने राजस्व विभाग को आग्रह किया है कि जब तक प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाता है तब तक सीएनजी के साथ मिश्रित सीबीजी की मात्रा पर उत्पाद शुल्क से छूट दी जाए।""

क. <u>□□□□ □□□□□□ □□□□□□:-</u>

1.57 समिति ने आयकर अधिनियम, 1961 में हालिया संशोधनों के प्रभाव के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की जिनसे धारा 80 जेजेए के तहत कॉर्पोरेट कर के संबंध में सीबीजी संयंत्रों को दी जाने वाली छूट जारी रहने के बारे में अस्पष्टता पैदा होती है और क्या आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेए के तहत सीबीजी संयंत्रों को कॉर्पोरेट कर के भुगतान से छूट अभी भी दी जाती है, जिसके संबंध में राजस्व विभाग (डीओआर) ने लिखित उत्तर में बताया है कि

"उपर्युक्त के संबंध में यह नोट किया जाए कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80जेजेए संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभ और फायदा या बिजली पैदा करने हेतु जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का उपचार या जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों या अन्य जैविक एजेंटों का उत्पादन या बायो-गैस के उत्पादन के लिए या ईंधन या जैविक खाद के लिए छर्रे या ब्रिकेट बनाने हेतु 100% की कटौती का प्रावधान करती है जो मूल्यांकन वर्ष से शुरू होने वाले पांच लगातार मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए होता है जिसमें ऐसा व्यवसाय शुरू होता हो।

तदनुसार, बायो गैस के उत्पादन में लगे कॉर्पोरेट सहित सभी निर्धारिती, अधिनियम की धारा 80जेजेए के तहत उस निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले लगातार पांच निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए कटौती का लाभ उठा सकते हैं जिसमें ऐसा व्यवसाय शुरू होता है। यह नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि वर्तमान में अधिनियम की धारा 80जेजेए के तहत लाभ से जुड़ी कटौती के लिए कोई सनसेट क्लॉज लागू नहीं होता है।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यदि बायो-गैस के उत्पादन के व्यवसाय में लगी घरेलू कंपनियों ने अधिनियम की धारा 115बीएए के तहत 22प्रतिशत की रियायती कराधान व्यवस्था (लागू अधिभार और उपकर सहित) का विकल्प चुना है या अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत 15प्रतिशत (लागू अधिभार और उपकर सहित) की नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों पर लागू रियायती कराधान व्यवस्था, वे अधिनियम की धारा 80जेजेए के तहत कटौती का दावा करने के पात्र नहीं होंगे क्योंकि रियायती कराधान व्यवस्थाओं के तहत उक्त विकल्प घरेलू कंपनियों के लिए ही उपलब्ध है जो इस शर्त के अधीन कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम के तहत किसी निर्दिष्ट छूट और कटौतियों का लाभ न उठाती हों।"

1.58 उक्त मुद्दे पर और विस्तार से बताते हुए कि क्या यह छूट सभी संयंत्रों के लिए उपलब्ध है या यह कुछ पात्रता शर्तों के अधीन है और क्या मंत्रालय का एसएटीएटी योजना के खराब प्रदर्शन और ऊर्जा का घरेलू क्रमिक विकास के मद्देनजर छूट की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है, डीओआर ने लिखित उत्तर में यह बताया कि:

> "अधिनियम की धारा 80जेजेए के तहत 100प्रतिशत लाभ से जुड़ी कटौती सभी निर्धारितियों पर लागू होती है जो उस निर्धारण वर्ष जिसमें ऐसा व्यवसाय शुरू होता है, से शुरू करके लगातार पांच निर्धारण वर्षों के लिए बिजली पैदा करने या जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों या अन्य जैविक एजेंटों का उत्पादन बायो-गैस का उत्पादन या ईंधन या जैविक खाद के लिए छर्रे या ब्रिकेट बनाने के लिए बायो-डिग्रेडेबल कचरे का संग्रह और प्रसंस्करण या उपचार के व्यवसाय से अपनी आय प्राप्त करते हैं। इस कटौती का लाभ उठाने के लिए अन्य शर्तें यह हैं कि विवरणी को ऐसे निर्धारण वर्ष की देय तिथि से पहले भरना आवश्यक होता है।
>
> अधिनियम की धारा 80जेजेए के तहत निर्धारिती, उस वर्ष से शुरू होने वाले लगातार पांच निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए कटौती का लाभ उठा

सकते हैं जिस वर्ष बिजली पैदा करने या जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों या अन्य जैविक एजेंटों का उत्पादन या बायो-गैस के उत्पादन या ईंधन या जैविक खाद के लिए छर्रे या ब्रिकेट बनाने हेतु बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण या उपचार का व्यवसाय होता है ।

निर्धारिती धारा 80जेजेए के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, यदि वह बिजली पैदा करने के लिए या जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों का उत्पादन या अन्य जैविक एजेंट या बायो-गैस के उत्पादन या ईंधन या जैविक खाद के लिए छर्रों या ब्रिकेट को बनाने के लिए बायो-डिग्रेडेबल कचरे का संग्रह और प्रसंस्करण या उपचार व्यवसाय से अपनी आय प्राप्त करता हैंI जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिटर्न को नियत तारीख से पूर्व भरना आवश्यक हैI।

छूट व्यवस्था की अवधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कटौती बायो-गैस के उत्पादन के प्रारंभ होने के वर्ष से ही उपलब्ध है।"

ख. □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□:-

1.59 जब समिति ने पूछा कि सीबीजी से संबंधित कर संरचना के सामंजस्य के संबंध में सीबीजी उद्यमियों की चिंताओं का निपटान करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तो डीओआर के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि

"कुछ प्रश्न जीएसटी, एक्साइज, वाएब्लिटी ऑफ प्लांट्स इत्यादि पर हुए। मैं माननीय समिति का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो बायोगैस प्लांट्स थे और रिन्युएबल के और प्लांट्स हैं, जैसे सोलर पावर और सोलर पावर जेनरेटर, इन सबको एक साथ क्लब करके उन पर जीएसटी लगता था। पहली बार जीएसटी की दर 5 प्रतिशत थी। पर, समस्या यह थी कि यह 5 प्रतिशत की दर देखने में अच्छी लगे कि शायद वह इनकी हेल्प कर सके, पर तथ्य यह है कि अगर आप इन प्लांट्स पर या मशीनरी पर या मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स पर 5 प्रतिशत की दर लगाएंगे तो वास्तव में यह नुकसानदेह है। इससे होता यह है कि जैसे बायोगैस प्लांट्स या सोलर सेल्स या और जो रिन्युएबल हैं, इनके सारे इनपुट्स और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, सभी पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगता है। अब अगर इस पर भी 5 प्रतिशत लगे तो जो एक्युमुलेटेड आईटीसी के इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग वाएबल नहीं रहता है और इसका मतलब यह है कि अगर डोमेस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग वाएबल न रहे और उनके एक्युमुलेटेड आईटीसी रहें तो 5 प्रतिशत करने का मतलब है कि फिर ये आइटम्स देश में नहीं बनेंगे। फिर आपको उसे इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि घरेलू विनिर्माण असमानता की स्थिति से नहीं बच सकता क्योंकि इसे आयात के साथ-साथ सृजित किया जाता है।. इसके परिणामस्वरूप, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जीएसटी में आने के बाद बहुत काम हुए हैं। आपने देखा होगा कि दो-तीन सालों में हमने जीएसटी में काफी सारे आइटम्स की रेट्स को कैलिब्रेट किया है। इसका मतलब कि इनपुट साइड पर जो जीएसटी रेट्स हैं, वे आउटपुट साइड के रेट्स से कम न हों। आउटपुट साइड के रेट्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए ताकि पीछे से जो क्रेडिट आ रहा है, वे यूज

हो सकें। हम लोगों ने केवल बायोगैस प्लांट्स के लिए कोई स्पेशल डिस्पेनसेशन नहीं किया है।

...सर, आपने दूसरा इश्यू यह भी उठाया था कि बायोगैस पलांट्स के जो इक्विप्मेंट्स हैं, उनमें क्या आता है, इसमें कुछ सन्देह है और जब असेसमेंट की बारी आती है, जैसे अगर कम्प्रेसर आया या इस तरह के आइटम्स आए तो असेसिंग ऑफिसर द्वारा सन्देह व्यक्त होता है औरउसमें विवाद पैदा होता है। पर, हमारी जो नोटिफिकेशन है, उसे हम दोबारा क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि कमेटी कह रही है, हम इस विषय को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली, इसमें हमने तीन चैप्टर्स के नाम दिए हैं – 84, 85 और 94। उस पर आने वाले जो भी आइटम्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स आते हैं,

उन सब पर अगर बायो गैस प्लांट के लिए इनपुट है और अगर वेएनड्यूस के लिए दिए जा रहे हैं तो उस पर प्रतिशत का ही रेट है। हम लोग इसे उचित तरीके सेक्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे।

सर, तीसरा इश्यू यह था कि बायोगैस जीएसटी के दायरे में है, सीएनजी एक्साइज के दायरे में है और एक आइटम बायोगैस जीएसटी के दायरे में और दूसरा सीएनजी एक्साइज के दायरे में होने से शायद इस पर डबल टैक्सेशन होता है क्योंकि इसमें होता यह है कि मान लीजिए कि बायोगैस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगा। उसके बाद बायोगैस को कम्प्रेस करके सीएनजी के साथ मिक्स किया गया और फाइनली सीएनजी बिकी तो सीएनजी पर 14 प्रतिशत की एक्साइज ड्यूटी लगती है और वैट भी लगता है। इसलिए मंत्रालय का प्रस्ताव है या उद्योगों का जो सुझाव है, उनका यह कहना है कि चूंकि बायोगैस मिक्स होकर अल्टीमेटली सीएनजी बनता है और बायोगैस में जीएसटी अगर लग गया है तो उतना वेवर बाद में मिलना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि दोनों चीजें अगर ड्यूटी पेड हैं और मिक्स हो रही हैं तो शायद दोबारा से एक्साइज ड्यूटी न लगे। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग और जो बायो-डीजल ब्लेंडिंग होती है, उसमें इस तरह के कंसेशन हैं कि अगर दोनों मिक्स होकर आएं तो उसमें दोबारा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाते हैं। इस विषय में हम एमओपीएनजी से बात कर रहे हैं। इस विषय में कुछ तथ्य हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। जब अगर कोई ड्यूटी रिडक्शन होता है या कंसैशन हम देते हैं, तो उसकी संभावना यह होती है कि वह पास ऑन होगा, तब तो उस कंसैशन को देने का फायदा है। अगर ऐसी संभावना बनती है कि वह पास ऑन नहीं होगा, वह एब्जार्व्ड हो जाएगा, तब वित्त मंत्रालय को विचार करना पड़ेगा कि इसमें किसका फायदा हो रहा है। ..... एमओपीएनजी को हमने रिसेंटली लिखा भी है। इस पर विचार करके हम लोग आपके पास आएंगे कि हमने क्या विषय लिया और जल्दी कोशिश करेंगे कि इस काम को करें। मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या नेचुरल गैस को जीएसटी में लाया जाए और क्या उससे समाधान होगा? यह सच है कि जब तक जीएसटी में नहीं आएगा, यह कैसकेडिंग इश्यूज़ कुछ-कुछ रहेंगे। मान लीजिए आपने सीबीजी कर भी दिया, तो प्लांट में जो टैक्स लगा रहा है, जो 12 पर्सेंट जीएसटी लग रहा है, वह तो फिर भी इम्बेड होगी और सर्विसेज़ में जो जीएसटी लग रही है,

वह भी इम्बेड होगी। इसलिए वह कैसकेडिंग तो होगी, जब तक यह एक चीज न बने। इश्यू यह है कि स्टेट्स को नेचुरल गैस से काफी रेवेन्यू मिलता है, सेंटर को कोई खास रेवेन्यू नहीं मिलता है। हमारे लिए रेवेन्यू का मुद्दा नहीं है। 1500 से 2000 करोड़ रुपये का ही रेवेन्यू ही सिर्फ हमें मिलता है। स्टेट्स को अगर आप देखें तो करीब दस हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू इसमें आएगा। उनके लिए जीएसटी काउंसिल में आकर यह मानना कि नेचुरल गैस को जीएसटी में लाएं, यह एक बड़ा मुद्दा है। इसमें इनफॉर्मल चर्चा नहीं हो पाई। उनकी तरह से बहुत ज्यादा यह नहीं है कि वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाना चाहेंगे। हम लोग प्रयास करते हैं, हमने डिस्कस किया है। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो पाए।"।

1.60 समिति ने बायोगैस संयंत्र से संबंधित उपकरणों और पुर्जों के लिए जीएसटी स्लैब के बारे में जानना चाहा तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

""45वीं जीएसटी काउन्सिल की सिफारिशों के अनुसार सभी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों (सीबीजी संयंत्रों सहित) और उनके निर्माण के पुर्जों पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाने के लिए किया गया था क्योंकि इन अक्षय ऊर्जा उपकरणों के अधिकांश इनपुट और उनके पुर्जों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती हैं।""

1.61 समिति ने आगे पूछा कि क्या जीएसटी स्लैब में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीएसटी संग्रह में वृद्धि तथा जीएसटी संग्रह की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

""सभी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों (सीबीजी संयंत्रों सहित) पर जीएसटी दर में वृद्धि इनपुट के साथ-साथ में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के निपटान हेतु की गई थी क्योंकि इन उपकरणों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती हैं और जीएसटी संग्रह में वृद्धि नहीं होती हैं।I"

आगे जारी रखते हुए, समिति ने सीबीजी संयंत्र और मशीनरी के लिए जीएसटी के तहत इनपुट क्रेडिट योजना के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> ""जीएसटी के तहत, आपूर्तिकर्ता अपने इनपुट, इनपुट सेवाओं या/और पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने के हकदार हैं जो उसके व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत हैं यह जीएसटी कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होता है I ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऑफसेट कर देयता संबंधी बाहरी आपूर्ति के लिए प्राप्त तथा उपयोग किया जा सकता है।"

1.62 समिति ने इंगित किया कि सीबीजी पर वैट और जीएसटी दोनों लगाए जाते हैं, तो मंत्रालय ने बताया कि

"ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर जीएसटी और वैट दोनों लगाया जाता हो। बायोगैस पर केवल 5प्रतिशत की रियायती दर पर जीएसटी लगाया जाता है।"

1.63 समिति ने इथेनॉल पर शुल्क की संरचना के बारे में जानना चाहा, जो एक ऊर्जा उत्पाद भी है और क्या वैट और जीएसटी दोनों इथेनॉल पर लगाए जाते हैं और सीबीजी की शुल्क संरचना इथेनॉल से अलग कैसे है तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" "मोटर स्पिरिट के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए जाने पर इथेनॉल पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता हैI अन्यथा, इथेनॉल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इथेनॉल पर वैट नहीं लगाया जाता है"।

1.64 समिति ने जीएसटी अधिनियम के तहत बायोगैस संयंत्र की परिभाषा स्पष्ट करने हेतु कहा और पूछा कि कभी-कभी कंप्रेसर, अपग्रेडेशन यूनिट, गुब्बारे (झिल्ली), आदि जैसी कुछ वस्तुओं को जब रियायती जीएसटी दर पर खरीदा जाता है तो उसके कारण वे अप्रत्यक्ष कराधान अधिकारियों की जांच के दायरे में आते हैं, इस पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

""अधिसूचना संख्या 01/2017-सीटी (दर) (अनुलग्नक) के क्रमांक 201ए के तहत कवर किए गए सीबीजी संयंत्रों सहित अक्षय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के लिए पार्ट्स पर 12% की जीएसटी दर लागू होती है। इसलिए, यदि बायो-गैस संयंत्र या अपशिष्ट-से- ऊर्जा उपकरण संयंत्र/उपकरणों के निर्माण में उपयोग के लिए कंप्रेसर, उन्नयन इकाइयों और गुब्बारे (झिल्ली) जैसी वस्तुओं की खरीद की जाती है, तो उन पर 12% की जीएसटी दर लगेगी।"

1.65 समिति ने पूछा कि सीबीजी और इसके संभावित स्थानापन्न पेट्रोलियम उत्पादों (एनजी, पीएनजी, एलपीजी) के लिए एक समान कर व्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि इससे पेट्रोलियम उत्पादों के साथ सीबीजी के तेजी से प्रतिस्थापन/स्विचिंग/मिश्रण में एक विसंगति (विशेष रूप से विपणन कंपनियों के लिए) पैदा होती है, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"वर्तमान में,जहां बायोगैस और एलपीजी पर जीएसटी लगता है वहीं, प्राकृतिक गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट लगता है।

संविधान का अनुच्छेद 279 ए (5) निर्धारित करता है कि माल और सेवा कर परिषद तारीख की सिफारिश करेगी जिस पर कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट उस (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल और सेवा कर लगाया जाएगा। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार, जीएसटी में इन उत्पादों को शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी।

अब तक, जीएसटी परिषद, जिसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है, ने जीएसटी के तहत प्राकृतिक गैस को शामिल करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।"

1.66 समिति जानना चाहती थी कि बायोगैस संयंत्र के सम्पूर्ण अनुबंध, जिसमें आपूर्ति पर 12% और सेवा पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, के लिए जीएसटी की विभिन्न दरें क्या हैं और सीबीजी परियोजनाओं में खरीद के लिए एक समान कर व्यवस्था लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा:

"यदि किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण या इंजीनियरिंग या स्थापना से संबंधित सेवाओं या इन नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए अन्य तकनीकी सेवाओं की आपूर्ति के साथ की जाती है, तो माल की आपूर्ति का मूल्य 70% माना जाएगा और सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य 30% माना जाएगा। (अधिसूचना संख्या 01/2017-सीटी (दर) का क्रमांक 201ए संदर्भित)। इसके अलावा, जीएसटी दरें जीएसटी परिषद द्वारा अपनी बैठकों में तय की जाती हैं और सीबीजी परियोजनाओं में की गई खरीद के लिए जीएसटी दरों में बदलाव के संबंध में परिषद द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है। इस संबंध में संबंधित मंत्रालय यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भी कोई इनपुट प्राप्त नहीं हुआ है।"

<u>सीबीजी संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता:-</u>

1.67 जब समिति ने पूछा कि सीबीजी संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता जो पहले प्रदान की गयी थी को बंद करने के क्या कारण हैं और क्या मंत्रालय 'सतत' योजना के दयनीय प्रदर्शन को देखते हुए सीबीजी संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिखित उत्तर में एमएनआरई ने कहा:

"नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक "शहरी, औद्योगिक और कृषि अवशिष्ट से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम" कार्यान्वित किया जा रहा

था। इस कार्यक्रम के तहत सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध कराई जाती थी।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2021 के बाद वर्ष 2025-26 तक योजना जारी रखने के लिए, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम नामक एक समेकित प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) को प्रस्तुत किया गया था। अब ईएफसी ने 858 करोड़ रु. के बजट परिव्यय के साथ कार्यक्रम के चरण-एक की सिफारिश की है, जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 1715 करोड़ रु. के कुल बजट परिव्यय के साथ दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।"

1.68 इसके अलावा, समिति यह जानना चाहती थी कि क्या मंत्रालय का बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने और इस तरह के संयंत्र स्थापित करने की लागत पर केंद्रीय वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव है तो उस पर एमएनआरई ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:

"साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरानकार्यान्वित "शहरी, औद्योगिक और कृषि अवशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम" के निष्पादन मूल्यांकन में थर्ड पार्टी ने सीबीजी परियोजनाओं के लिएकेन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की दर यथावत रखने की सिफारिश की थी।तद्नुसार, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित सीबीजी परियोजनाओं के लिए सीएफए की राशि यथावत अर्थात् प्रतिदिन 4800 किलोग्राम सीबीजी के लिए 4.00 करोड़ रु. रहेगी। "

1.69 समिति शर्तों और परिभाषाओं, निर्माण और डिजाइन, प्रचालन, तकनीकी विशिष्टताओं, उत्सर्जन मानकों, सुरक्षा आदि के लिए मानकों के निर्माण की स्थिति और मंत्रालय द्वारा इसे कब तक लागू किए जाने की उम्मीद है के बारे में जानना चाहती थी। इस संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि:

"एमएनआरई द्वारा पहले ही बायोगैस संयंत्र को मानक और दिशानिर्देशों का मसौदा दिनांक 20 अप्रैल, 2022 को बीआईएस को प्रस्तुत कर दिया गया है। अब बीआईएस ने लघु, मध्यम और बड़े स्तर के बायोगैस संयंत्रों के लिए मसौदे को अंतिम रूप देनेके लिए अलग-अलग तीन उप-समितियां गठित की हैं और जैसा कि बीआईएस द्वाराजानकारी दी गई है, ऐसा अनुमान है कि दिसम्बर, 2022 तक मसौदे को अंतिम रूपदेकर प्रकाशित कर दिया जाएगा।"

1.70 समिति कार्बन क्रेडिट प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और सामान्य रूप से इसके व्यापार और ऑफसेट तंत्र को और विशेष रूप से सीबीजी संयंत्रों के संबंध में जानना चाहती थी, जिनके लिए मंत्रालय ने यह प्रस्तुत किया है कि:

> "विद्युत मंत्रालय द्वारा संचालित और संसद में प्रस्तुत ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 में अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में कार्बन क्रेडिट बाजारों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।विधेयक में मुख्य अधिनियम की धारा 14 मेंखंड (V) के बाद नया खंड (ब) शामिल करने का प्रस्तावहै, जो नीचे दिया गया है:
>
> (ब) कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का विनिर्दिष्ट करें।"

1.71 जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या सीबीजी संयंत्र के मालिक भी कार्बन क्रेडिट के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसके लिए क्या तंत्र अपनाया गया है तो वर्बियो इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान सूचित किया कि:

> "सवाल यह है कि उस दावे का हमें क्या मूल्य मिल रहा है? उदाहरण के लिए, हमने यह अभ्यास किया। इंदौर के बाहर एक कंसल्टिंग फर्म है। उन्होंने हमारा पूरा मूल्यांकन किया। उन्होंने एक कार्बन क्रेडिट के लिए $5 प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड का मूल्य दिया। ईमानदार होने के लिए, इस प्रयास के साथ जो इसमें जाएगा और एक टन के लिए $5 प्राप्त करना वास्तव में प्रयास के लायक नहीं है। इसलिए हम उस विषय पर आगे नहीं बढ़े। इसलिए, अभी, कोई संस्थागत तंत्र नहीं है जिसमें उस कार्बन क्रेडिट के लिए उचित मूल्य आवंटित किया जा सके। हां, हम इसे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उचित मूल्य आवंटन होना चाहिए"।

<u>सीबीजी संयंत्रों में केवीके, एफपीओ और सीएचसी की भूमिका:-</u>

1.72 जब समिति ने 'जैविक किण्वन खाद' के उपयोग को प्रचारित करने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कृषि विकास केंद्रों (के.वी.के.), एफपीओ, आदि सहित कृषि विस्तार मशीनरी पर चर्चा की, तो मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि:

> "आपने जो प्रश्न किया है, उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। आपने एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहा है कि जो जैविक अपशिष्ट है, उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय क्या कदम उठा
>
> रहा है। हमारा जो एक्सटेंशन विंग है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक स्टेट का एक्सटेंशन विंग है और दूसरा आईसीएआर का कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से एक्सटेंशन विंग है। उनके जो संस्थान हैं, उनके माध्यम से डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जाते

हैं। जैविक खेती की बढ़ोतरी के लिए जो आईसीएआर के नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। उसके अंतर्गत विभिन्न क्रॉप्स हैं, उनके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज़ बनाए गए हैं। इनके जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज़ हैं, इसमें कैसे-कैसे जैविक इनपुट्स का उपयोग होगा, उसके बारे में केवीकेएज़ के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है और फॉर्मर फीड डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जाते हैं। दूसरा, आपने एफपीओज़ का जिक्र किया है। भारत सरकार जैविक खेती की दो परियोजनाएं क्रियान्वित करती है। एक पीकेवीवाई नाम सेपरंपरागत कृषि विकास योजना है। दूसरा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेनडेवलेपमेंट फॉर नॉर्थ-ईस्ट रीज़न है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक विशेष परियोजना है। इन दोनों परियोजनाओं के अंदर किसानों के समूह बनाए जाते हैं। इन समूहों के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनपुट्स को सपोर्ट दिया जाता है। उनको टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन और सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। इसी परियोजना के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर्स का भी प्रावधान है, जो जैविक इनपुट्स हैं, उसके माध्यम से किसानों और क्लस्टर्स में प्रोवाइड कराए जाते हैं। महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब कंप्रेस्ड बॉयो गैस संयंत्रों की बात आई थी, तो उससे दो तरह के आउटपुट्स आते हैं। एक तो फर्मेन्टेड ऑर्गेनिक मैन्योर है और दूसरा लिक्विड फर्मेन्टेड आर्गेनिक मैन्योर है। किसी भी खाद इनपुट को बाजार में बेचने से पहले आवश्यक है कि एक फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत प्रचलित हुआ है, उसमें इन खादों को शामिल किया जाता है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2020 में इनको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत शामिल किया है। जो लिक्विड और सॉलिड जैविक इनपुट्स जेनरेट हो रहे हैं, इनको कोई भी इंटरप्रेन्योर अपने मार्केटिंग चैनल के जरिए पूरे देश के किसानों को बेच सकता है। उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है"।

मुद्दे पर और विस्तार से बताते हुए :-

"मैंने निवेदन किया है कि इसके अंदर इनपुट खरीदने का प्रावधान है, जिसके लिए किसानों को परियोजना के माध्यम से सपोर्ट दिया जाता है। किसानों के लिए बाजार में जितने तरह के जैविक इनपुट्स उपलब्ध हैं, उनको फ्रीडम है कि वे उसमें से क्या चुनें। जो आउटपुट आ रहा है, संयंत्रों से जो खाद आ रही है, उनको उसका डिमांस्ट्रेशन केवीके और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम करा सकते हैं, ताकि उनकी क्षमता के बारे में किसानों को जानकारी हो सके और वे इनको भी चूज कर सकें। साथ ही, कंपनीज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, ताकि इसकी मार्केटिंग हो और इसके बारे में किसानों को बताया जा सके"।

1.73 जब समिति ने आगे फसल के ठूंठ और कृषि अवशेषों के प्रबंधन के लिए प्रदर्शनी परियोजनाओं के बारे में जानना चाहा तो एमओए के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया कि:

"मैंने टेक्नोलॉजी की बात की है कि मंत्रालय द्वारा जैविक खेती में किस तरह के टेक्नोलॉजी और किस तरह के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तैयार किए गए हैं, जिससे किसान अलग-अलग तरह के क्रॉप्स ले सकते हैं। वह स्टैंडर्डाइजेशन कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। इनपुट का जो इंडिपेंडस है, वह किसानों पर छोड़ा गया है और स्कीम के अंदर इनपुट के लिए पैसा किसानों को प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने यह निवेदन किया है"।

1.74 समिति आगे सीबीजी संयंत्रों को सहायता प्रदान करने में नाबार्ड की भूमिका के बारे में जानना चाहती थी तब एमओए के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"गवर्नमेंट्स को लेंडिंग करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के कारपोरेशंस को लेंडिंग करते हैं। इसके अलावा, नाबार्ड ज्यादातर बैंक्स को रीफाइनेंस करता है ताकि वे बैंक्स आगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लेंडिंग कर सकें, जिनमें को-ऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स हैं"।

<u>जैव-खाद के ऑफ टेक के मुद्दे:-</u>

1.75 समिति ने जानना चाहा कि क्या कृषि और उर्वरक मंत्रालयों को जैव-खाद के ऑफ टेक में शामिल किया गया है ताकि सीबीजी संयंत्रों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार हो जिस पर एमओपीएनजी ने लिखित उत्तर में कहा है कि:

"कृषि मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अभी तक जैव-खाद के ऑफ टेक के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। उर्वरक मंत्रालय से एफओएम के लिए(1500 रुपये प्रति टन) बाजार विकास सहायता प्रदान करने और उर्वरक कंपनियों को रासायनिक उर्वरक के साथ किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/जैव-खाद के अनिवार्य ऑफ टेक के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। कृषि मंत्रालय से अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से जैव-खाद को बढ़ावा देने के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का अनुरोध किया गया है। इस तरह के उपायों से एसएटीएटी पहल के तहत सीबीजी संयंत्रों की व्यवहार्यता में वृद्धि होगी।"

1.76 जब समिति ने किण्वित जैविक खाद/पचे हुए बायोगैस घोल के लिए बाजार और कीमत के बारे में जानना चाहा और क्या सरकार द्वारा कोई सब्सिडी प्रदान की जाती है तब उर्वरक विभाग (डीओएफ) के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया कि:

"फर्मेंटेड बायो मैन्योर को पिछले साल ही एफसीओ के अन्दर लाया गया था। अगर आप एफसीओ में देखेंगे, तो इसमें 10 से ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं,

उनमें फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर भी हैं। जहाँ तक इसमें सब्सिडी या सपोर्ट की बात है, हमारे यहाँ पहले एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस होता था, वह सिर्फ सिटी कम्पोस्ट के लिए था। सिटी कम्पोस्ट का ज्यादा खर्च नहीं हो रहा था और उसकी क्वालिटी में भी कुछ फॉल्ट थी, इसलिए एमडीए चला नहीं, इसलिए हमें डीओई ने बताया कि उसको बन्द कर दिया जाए। वह बन्द हो गया है। अब आगे के लिए हमने एक एमडीए स्कीम बनाया है, जिसमें सारे ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग फर्मेंटेड बायो मैन्योर के लिए हमने एक ईएफसी नोट बनाकर डीओई को भेजा है। अभी यह विचाराधीन है। दूसरी बात, इसमें जहाँ तक ऑर्गेनिक मैन्योर की बात है, तो उसमें 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस देने का प्रावधान है। यह तो चल ही रहा है। इसके अलावा, हमने सारे पीएसयूज और हमारी कम्पनी को, जहाँ पर कम्प्रेस्ड बायो गैस के प्लांट्स लगे हैं, उनके लिस्ट देते हुए, हमने उनको कहा है कि जो वहाँ से मैन्योर बनता है, आप इनको बास्केट एप्रोच में सारे स्टेट्स या फार्मर्स को अपने आउटलेट्स में उपलब्ध कराएंगे।

यह दूसरी चीज है, जो हमने की है। इसकी मॉनिटरिंग अभी शुरू नहीं की है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ एक मीटिंग हुई थी। थर्ड पॉइंट है, जैसा कि प्राइस के बारे में कहा जा रहा है, प्राइस तो हम किसी का भी निर्धारित नहीं करते, अनलेस यूरिया एक ही है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स प्राइस फिक्स करता है, अदरवाइज सारे मार्केट फोर्स के हिसाब से ही हैं। इसके संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ एक मीटिंग करेंगे। इसे देख लेंगे कि इसे किस तरह करें, जिससे जो भी इंटरप्रेन्योर्स उसमें जो भी लगाएं, उनको फायदा हो। इसमें आगे कार्यवाही की जाएगी, लेकिन हमारे स्तर से एमडीए के लिए और बास्केट एप्रोच के लिए हमने सबको बता दिया है। जहां तक फामर्स का इश्यू है, एग्रीकल्चर के जॉइंट सेक्रेट्री यहां पर हैं। इनसे पहले मैं वहां जॉइंट सेक्रेट्री थी। वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्कीम्ज हैं, जिनमें फार्मर्स को एक स्कीम के अंतर्गत एक परंपरागत कृषि विकास योजना है, जिसके तहत उन्हें यह मिलता है, हम मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं। अत: दोनों तरफ से हम इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं"।

<u>सी बी जी के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस</u>

1.77 समिति ने नोट किया कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत सिटी कम्पोस्ट के निर्माताओं को पहले कम से कम 1500 रुपये प्रति टन की बाजार विकास सहायता दी जा रही थी। समिति ने जानना चाहा कि क्या उपरोक्त मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस नगरपालिका के ठोस कचरे पर आधारित सीबीजी संयंत्रों के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"सरकार ने सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी थी जिसे उर्वरक विभाग द्वारा 10.02.2016 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें सिटी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए 1500 रुपये की मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रदान की गई थी।

एमडीए नीति की समीक्षा और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की 2 अगस्त, 2021 की बैठक में सिफारिशों के आधार पर सिटी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस (एमडीए) की योजना 30 सितंबर, 2021 के बाद बंद कर दी गई है।"

1.78 समिति ने जानना चाहा कि क्या उर्वरक कंपनियों से उनके डीलर नेटवर्क और अन्य संबंधित विपणन संस्थाओं के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ डाइजीस्टेट के सह-विपणन की दिशा में सहायता, उर्वरक विभाग में पंजीकृत सभी जैविक खाद (बायोगैस संयंत्रों सहित) उत्पादक संयंत्रों को दी जाएगी, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है:

"दिनांक 7.1.2022, 11.5.2022, 27.5.2022 और 19.7.2022 के पत्रों के माध्यम से, सभी उर्वरक विपणन कंपनियों से अनुरोध किया गया है कि वे फसलों के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए "बास्केट एप्रोच " के रूप में रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद (एफओएम) और अन्य जैविक और जैव-उर्वरकों के ऑफ टेक की व्यवस्था करें।

जैविक उर्वरकों और जैव उर्वरकों के लिए मार्किट डेवलपमेंट असिस्टेंस (एमडीए) प्रदान करके जैविक और जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए एक अवधारणा नोट सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है। व्यय विभाग से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।"

<u>प्रशिक्षण और जनशक्ति</u>

1.79 समिति ने जानना चाहा कि क्या मंत्रालय ने पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के मुद्दों के समाधान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कौशल विकास मंत्रालय या तेल पीएसयूज के समक्ष मामला उठाया है, जिस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि:

"सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने सीबीजी क्षेत्र के लिए कौशल विकास को गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

1. वे उद्यमियों द्वारा स्थापित की जा रही सतत पहल के तहत सीबीजी संयंत्रों की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और अन्य क्षेत्रों में मदद के लिए पेशकश कर रहे हैं। मौजूदा और नए आवेदकों को सतत पहल पर विवरण प्रदान करने के लिए आईआईटी, आईआईएससी आदि जैसे प्रख्यात प्रौद्योगिकी संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की भागीदारी के साथ संभावित उद्यमियों के लिए विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए हैं।
2. सतत पहल पर एक डेडीकेटेड वेब पोर्टल (https://satat.co.in) विकसित किया गया है। पोर्टल में सतत पहल दस्तावेजों, सीबीजी संयंत्रों के वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, सीबीजी सक्षमकर्ताओं, सरकारी नीतियों, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों, खाद विपणन संबंधी विवरण मौजूद हैं। पोर्टल में सीबीजी प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण पर विस्तृत शिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध है। पोर्टल पर संयंत्र संचालन और रखरखाव, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, प्रौद्योगिकी, खाद, आदि के बारे में सीखने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं और नवीनतम विवरणों के साथ इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
3. इंडियन ऑयल सीबीजी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों और योग्यता पैकेज (क्यूपी) के विकास के लिए "स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स" के साथ चर्चा कर रहा है। "स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स" ने संपीडित बायोगैस के उत्पादन और उपयोग के लिए विभिन्न नौकरियों के लिए विभिन्न क्वालिफिकेशन पैक विकसित किए हैं। विभिन्न मंत्रालयों से फीडबैक के लिए प्रशिक्षण पैकेज भेजे गए हैं, जिन्हें कौशल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.1.2022 की प्रस्तावित बैठक के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।"

1.80 समिति ने जानना चाहा कि एमओपीएनजी द्वारा उद्योगों और संभावित निवेशकों के बीच सतत पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं और क्या उद्योग संघों, मंडलों आदि के साथ कोई बैठक की गई है,जिस पर एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में यह प्रस्तुत किया है कि:

(i)" सतत पहल की जागरूकता और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न पहुंच कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

1. [illegible] '[illegible]' ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

2. [illegible] (https://satat.co.in) [illegible] '[illegible]' [illegible]

3. [illegible]

4. '[illegible]' [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible] 10.8.2021 [illegible]

8. [illegible]"

अनुसंधान और विकास

1.81 समिति ने जानना चाहा कि क्या सीबीजी की उत्पादन लागत को कम करने और सीबीजी संयंत्र की दक्षता में सुधार करने के लिए किसी भी एजेंसी द्वारा कोई अनुसंधान और विकास किया जा रहा है ताकि उद्यमियों के लिए प्रतिफल की दर को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके जिसके लिए एमओपीएनजी ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□□, □□□□□□□-□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ '□□ □□□□ □□' □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□-□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□- □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

सीबीजी के ऑफ टेक को सुगम बनाने के उद्देश्य से एमओपीएनजी ने सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ 'सतत' पहल के तहत तकनीकी मानकों को पूरा करते हुए उत्पादित सीबीजी के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के प्रचालन के लिए गेल को जिम्मेदारी दी गई है। उसी के परिणामस्वरूप नदियाड, गुजरात में सीजीडी नेटवर्क में सीबीजी को शामिल करना शुरू किया गया है और लगभग **0.16** एमएमएससीएम सीबीजी की आपूर्ति की गई है।"

टिप्पणियां/सिफ़ारिशें

भाग दो

सिफ़ारिश सं.1

'सतत' का कार्यान्वयन

समिति नोट करती है कि भारत दुनिया में तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऊर्जा की उपलब्धता किसी भी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख घटक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश अपनी हाइड्रोकार्बन जरूरतों के लिए काफी हद तक कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश घरेलू रूप से उत्पादित सहायक वैकल्पिक ईंधन विकसित करके अर्थव्यवस्था को यथासंभव बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करे। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने और 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में हिस्सेदारी को लगभग 6.7 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की योजना बनाई है।

समिति आगे नोट करती है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का उद्देश्य देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन की भूमिका को बढ़ाना है और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में किफायती परिवहन की ओर सतत विकल्प (एसएटीएटी) पहल शुरू की है जिसमें वर्ष 2023-24 तक गैस के 54 एमएमएससीएमडी के समकक्ष कुल उत्पादन क्षमता के साथ 5000 सीबीजी संयंत्रों को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। 'सतत' 1.75 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावना प्रदान करता है और लगभग 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है।

यह पहल सिटी गैस वितरण (सीजीडी) आपूर्ति के सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) क्षेत्र में संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देती है और कृषिअपशिष्टों, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) और सीवेज पानी से उत्पादित होती है। यह पहल सरकार के अन्य लक्ष्यों जैसे किसानों की आय को दोगुना करना, आयात में कटौती, रोजगार सृजन, अपशिष्ट से धन सृजन आदि को भी एकीकृत करती है, जो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देश की मदद कर सकती है।

तथापि, समिति खेद के साथ नोट करती है कि वर्ष 2023-24 तक 5000 सीबीजी संयंत्र विकसित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में से अब तक केवल 40 सीबीजी

संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो इंगित करता है कि 'सतत' योजना के अंतर्गत बहुत से कार्य किए जाने की आवश्यकता है जो स्पष्टता की कमी, प्रक्रियात्मक बाधाओं के बोझ से दबी हुई है और इसने निवेशकों/उद्यमियों को अब तक सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है। समिति ने यह देखते हुए कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना को कृषि अवशेषों के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा या अपशिष्ट प्रबंधन पहल के दृष्टिकोण से देख रहा है, इच्छा व्यक्त की है कि मंत्रालय को घरेलू स्तर पर हरित और स्वच्छ प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने की पहल के रूप में 'सतत' को देखने के अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए।

समिति, मंत्रालय की पथप्रदर्शक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में 'सतत' की सराहना करती है और आशा करती है कि यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो 'सतत' देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करेगा। तथापि, समिति मंत्रालय को सचेत करना चाहती है कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की सफलता पर अपनी उपलब्धियों पर ही ना रुके, बल्कि 'सतत' पहल को भी सफल बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए और उत्तरदायी बने और समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय नियमित अंतराल पर प्रगति की समीक्षा करके सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करे और इस पहल के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करे ।

सिफ़ारिश सं.2

<u>आशय पत्र की समीक्षा</u>

समिति नोट करती है कि 'सतत' पहल के तहत सीबीजी के उत्पादन से प्राकृतिक गैस आयात में कमी, ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी, कृषि अवशेषों को जलाने में कमी, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन आदि के साथ-साथ कई लाभ होंगे। समिति आगे नोट करती है कि तेल और गैस विपणन कंपनियां (ओजीएमसी) ऑटोमोटिव और वाणिज्यिक ग्राहकों को आगे बेचने के लिए सीबीजी खरीदने के लिए संभावित निवेशकों/उद्यमियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 'सतत' समन्वय के लिए नोडल कंपनी है।

मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि 1 जून, 2022 तक सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा कुल 3263 आशय पत्र (एलओएल) जारी किए गए हैं। जिन मामलों में भूमि का अंतिम निर्णय ले लिया गया है उनकी संख्या 328 है और 97 एलओआई ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है। समिति पाती है कि अब तक 35 सीबीजी संयंत्र चालू किए गए हैं और मार्च 2023 तक लगभग 40 संयंत्रों के चालू होने की आशा है।

समिति पाती है कि एक ही उद्यमी/निवेशक को बड़ी संख्या में आशय पत्र (एलओएल) जारी किए गए हैं और इस तरह के कई एलओआई जारी करने का कारण यह दिया गया है कि परियोजना में मंजूरी, अनुमोदन और आपूर्ति श्रृंखला के अन्य कई मुद्दे शामिल होते हैं और किसी निश्चित स्थान पर संयंत्र तभी स्थापित किया जा सकता है जब आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध हों। तथापि, उद्यमियों द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि बैंक उस उद्यमी को एक से अधिक परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं जिनके पास कई आशय पत्र (एलओएल) हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग ने बताया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक उन सीबीजी संयंत्रों के निष्पादन को देखना चाहते हैं, जिन्हें वे पहले ही ऋण दे चुके हैं।

तथापि, समिति को आशंका है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने केवल यह दिखाने के लिए अनेक आशय पत्र (एलओएल) जारी किए थे कि 'सतत' के तहत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है क्योंकि यह स्पष्ट है कि एक ही उद्यमी को पर्याप्त प्रतिभूति और गारंटी दिए बिना बैंकों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्त नहीं मिलेगा। तथ्य यह है कि 3263 आशय पत्रों (एलओएल) में से मुश्किल से 40 संयंत्रों को चालू किया गया है, जबकि 24 महीने से भी कम समय बचा है। इसलिए, समिति की इच्छा है कि बहुत से स्थानों वाले उद्यमियों को आशय पत्र (एलओएल) जारी करने के लिए उचित दिशानिर्देश होने चाहिए।

समिति लक्ष्यों के बारे में भ्रमित करने और 'सतत' के तहत अच्छी प्रगति दर्शाने के ऐसे भ्रामक तरीकों के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निंदा करती है। समिति कोविड के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, यह चाहती है कि मंत्रालय अब तक की गई प्रगति के संदर्भ में जारी किए गए आशय पत्रों (एलओएल) की समीक्षा करे और समस्त सुधारात्मक कार्रवाई करे तथा ज़ोर शोर से नए निवेशकों/उद्यमियों को आकर्षित करे। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को जारी किए गए आशय पत्रों (एलओएल) की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए और नए आशय पत्र (एलओएल) जारी करने के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार करने चाहिए।

सिफ़ारिश सं. 3

<u>राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) समन्वय तंत्र</u>

समिति नोट करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य देश में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना है। समिति यह भी नोट करती है कि सीबीजी (सतत) योजना की सफलता विभिन्न मंत्रालयों/हितधारकों/संगठनों के बीच समयबद्ध तरीके से चुनौतियों और बाधाओं को हल करके समुचित रूप से किए गए समन्वित प्रयासों पर निर्भर करती है। हितधारकों और सरकार के बीच और सरकारी निकायों के बीच परस्पर संचार स्थापित करके इसकी उपलब्धि की जा सकती है। सीबीजी परियोजना के सफल कार्यान्वयन में कई मंत्रालयों की भूमिकाएं हैं और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय आवश्यक है।

समिति पाती है कि जैव ईंधन के समग्र समन्वय, शुरू से अंत तक प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी करने के लिए एक समन्वय तंत्र के रूप में पहले से ही राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) मौजूद है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं और माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तथापि, समिति यह नोट करके हैरान है कि अपनी स्थापना के बाद से, एनबीसीसी ने अब तक केवल एक बैठक की है जो 'सतत' पहल के लिए इस तंत्र के प्रति मंत्रालय की गंभीरता में कमी को दर्शाती है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मुद्दों को हल करने के लिए नियमित अंतराल पर एनबीसीसी की बैठकें बुलाए और विशिष्ट तथा उल्लिखित मुद्दों को हल करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को शामिल करते हुए उप समितियों का गठन भी करे।

सिफ़ारिश सं. 4

<u>एकल खिड़की मंजूरी</u>

समिति नोट करती है कि संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्रों को केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की विभिन्न एजेंसियों से विभिन्न अनुमोदनों और मंजूरी की आवश्यकता होती है। समिति नोट करती है कि मंजूरी और अनुमति देने में शामिल एजेंसियों की बहुलता के कारण सीबीजी (एसएटीएटी) के कार्यान्वयन में देरी हुई है। अनिवार्य अनुमोदन और एनओसी आदि के स्थान पर व्यवहार्यता के लिए स्व-प्रमाणन और उपक्रम का भी अध्ययन किया जा सकता है।

समिति मंत्रालय से एक व्यापक अनुमोदन जारी करने या एक अर्धवार्षिक/वार्षिक सुलह तंत्र पर विचार करने का आग्रह करती है और स्थानीय तथा राज्य/जिला स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संयुक्त परामर्श तंत्र के लिए एक मंच विकसित किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न एजेंसियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी मतभेदों को दूर किया जा सके, और इस संबंध में, राज्य/जिला स्तर पर एक "अवसंरचना अनुमोदन समिति" बनाई जा सकती है जो ऐसी मंजूरी ले सकती है और उन पर तेजी से काम कर सकती है। समिति पाती है कि मंत्रालय को सीबीजी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न सक्षमताओं की व्यवस्था और कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकारों और अन्य पणधारकों सहित विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा सीबीजी उत्पादकों को भूमि के शीघ्र आवंटन से सीबीजी परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी।

सीबीजी (सतत) का राष्ट्रीय महत्व है, और इसलिए, पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए विभिन्न केंद्रीय/राज्य/स्थानीय निकायों/विभागों से अनुमति और स्वीकृति लेने में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, समिति चाहती है कि डीम्ड अनुमोदन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि एक निर्धारित समय अवधि में आवश्यक स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकें। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अनुमोदन और स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रणाली हेतु एकल-खिड़की तंत्र के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी।

सिफारिश सं. 5

<u>केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)</u>

समिति नोट करती है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता देने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) नामक एक योजना लागू कर रहा था। समिति नोट करती है कि अप्रैल 2021 से बायोगैस/सीबीजी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है, और यह उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है। समिति को पता चला है कि सीबीजी संयंत्र नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और

इसलिए, ये संयंत्र सीएफए के पात्र हैं। तथापि, चूंकि यह योजना लागू नहीं है, इसलिए, यह सुविधा उन उद्यमियों को नहीं दी जाती है जो सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए आगे आते हैं। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि उद्योग को मुख्यधारा में लाने के लिए, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक/शुरुआती अवस्था में है, सीएफए योजना को जारी रखना महत्वपूर्ण है। समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को देश में सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना को फिर से शुरू करने के लिए इस मामले को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए।

समिति यह भी चाहती है कि एमओपीएनजी सीबीजी संयंत्रों के लिए कैपेक्स आधारित सब्सिडी के बजाय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) पर विचार करे जिससे गैस उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और केवल संयंत्र स्थापित करने के बजाय संयंत्रों को चालू और कार्यात्मक बनाए रखेगा। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा अनुमानित विभिन्न फीडस्टॉक के तहत उपयुक्त जीबीआई (मूल्य/प्रति किलोग्राम सीबीजी) का निर्धारण चाहेगी।

सिफारिश सं. 6

<u>पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्था</u>

समिति नोट करती है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ मिश्रण के लिए जैव ईंधन परियोजनाओं सहित हाइड्रो कार्बन क्षेत्र में देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एमओपीएनजी द्वारा कई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय द्वारा की जा रही कई पहलों के साथ, इन कार्यकलापों के वित्तपोषण की आवश्यकता है, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में परियोजना से जुड़े जोखिमों और प्राप्ति को समझकर, जिसके लिए तेल पीएसयू में विशेषज्ञता उपलब्ध है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए, समिति चाहती है कि तेल पीएसयू जिनके पास मजबूत नकद प्रवाह और लाभ वाले तुलन पत्र हैं, और लगातार लाभ कमा रहे हैं, उन्हें सभी जैव-ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक वित्तीय संस्था स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए जो मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं या जिनके भविष्य में शुरू किए जाने की संभावना है।

विशिष्ट क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण और निगरानी के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हुडको), भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) आदि जैसी संस्थाएं हैं। समिति चाहती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) पेट्रोलियम क्षेत्र के तेल पीएसयू को

शेयरधारकों के रूप में उनके स्वामित्व और प्रबंधन वाली वित्तीय संस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित करे, जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी), जैव-डीजल परियोजनाओं, सीबीजी परियोजनाओं आदि के लिए इथेनॉल उत्पादन करने जैसी पीएनजी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तेल और गैस क्षेत्र की परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक पीएसयू वित्तीय संस्था स्थापित करनी चाहिए।

सिफारिश सं. 7

<u>बायो फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड</u>

समिति नोट करती है कि 'सतत' योजना सरकार की एक प्रशंसनीय और महत्वाकांक्षी पहल है जो देश को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकती है। तथापि, इस योजना को लागू करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई बहुत ही उदासीन रही है। फिर भी समिति मंत्रालय को संदेह का लाभ देगी क्योंकि देश पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड महामारी से लड़ रहा था। तथापि, चूंकि स्थिति में बहुत हद तक सुधार हुआ है और आर्थिक कार्यकलापों में तेजी आई है, मंत्रालय को अब यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिए कि 'सतत' पहल लागू की जाए और सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

समिति नोट करती है कि एक योजना, जिसे इस संबंध में दोहराया जा सकता है, वह है नाबार्ड और कृषि मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त एआईएफ (कृषि अवसंरचना कोष) है। इस संबंध में, समिति का विचार है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए शीघ्रता से और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा उन्हें वित्तपोषित किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) कोष या बजटीय आवंटन से उपयुक्त तरीके से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बायो फ्यूल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से एक फंड बनाया जाए। मंत्रालय इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराए।

सिफारिश सं. 8

<u>सीबीजी परियोजनाओं के लिए संपार्श्विक सुरक्षा</u>

समिति नोट करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीबीजी परियोजनाओं को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत शामिल किया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सीबीजी संयंत्रों को ऋण दे रहे हैं। केनरा बैंक को 'सतत' के तहत नोडल बैंकर के रूप में नामित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और कुछ अन्य बैंकों ने सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष ऋण उत्पाद विकसित किया

है। सीबीजी संयंत्रों को बहुपक्षीय सस्ते ऋण के लिए विश्व बैंक, एडीबी और जेआईसीए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर काम कर रहे हैं।

तथापि, समिति नोट करती है कि बैंक उसी उद्यमी को एक से अधिक परियोजनाओं के लिए ऋण नहीं दे रहे हैं जिनके पास तेल और गैस विपणन कंपनियों (ओजीएमसी) द्वारा जारी किए गए कई एलओआई हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग का कहना है कि वे इन संयंत्रों के कार्यनिष्पादन को देखना चाहते हैं, जिनके लिए उन्होंने पहले ही ऋण दिया है। उद्यमियों के सामने आने वाली बाधाओं में से एक यह है कि बैंक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा चाहते हैं। उद्यमियों द्वारा समिति को बताया गया है कि पूर्व निर्धारित मूल्य पर गैस की पूरी खरीद के लिए तेल और गैस विपणन कंपनियों (ओजीएमसी) और सीबीजी प्लांट संचालकों के बीच गैस खरीद समझौते को भी बैंकों द्वारा सुरक्षा के साधन के रूप में ध्यान में लेना चाहिए, और यदि आवश्यक हो, तो तीनों पक्षों अर्थात् सीबीजी संयंत्र प्रबंधन, ओजीएमसी और बैंकों के बीच एक एस्क्रो खाता खुलवाया जाए, जहां बैंक इस खाते से अपनी ऋण सेवा ले सकते हैं। समिति का विचार है कि इस सुझाव में तर्क है और सिफारिश करती है कि एमओपीएनजी को इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करना चाहिए और उद्यमियों पर संपार्श्विक सुरक्षा बोझ को कम करना चाहिए जैसाकि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम में किया गया था।

सिफारिश सं. 9

<u>सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों (ऑयल पीएसयू) द्वारा सीबीजी परियोजनाओं में निवेश</u>

समिति नोट करती है कि सीबीजी परियोजनाओं को इस उम्मीद के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है कि निजी उद्यमी और निवेशक आगे आएंगे और तेल पीएसयू की भूमिका इन परियोजनाओं को इन संयंत्रों से उत्पादित सीबीजी के सुनिश्चित ऑफटेक के रूप में सहायता प्रदान करने की होगी। समिति पाती है कि आईओसी ने 5 सीबीजी परियोजनाओं में तथा गेल और एचपीसीएल ने एक-एक में निवेश किया है, जबकि ओएनजीसी और ओआईएल जैसे अपस्ट्रीम पीएसयू जिनके पास क्रमशः प्राकृतिक गैस के उत्पादन और प्राकृतिक गैस के विपणन से संबंधित विशिष्ट अधिदेश हैं, ने अब तक किसी भी परियोजना में निवेश नहीं किया है। समिति को यह नोट कर आश्चर्य हुआ कि घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन के अपस्ट्रीम तेल पीएसयू का अधिदेश होने के बावजूद पीएसयू अपने दम पर सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए, समिति चाहती है कि तेल पीएसयू, कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी संचालित (सीओसीओ) मॉडल या अन्य ओएमसी/उद्यमियों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से तेजी से सीबीजी क्षेत्र में प्रवेश करे।

इसके अतिरिक्त, ओएमसीज की भी यह जिम्मेदारी है कि वे देश में घरेलू और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में एलपीजी की मांग को पूरा करें और मांग को पूरा करने के लिए उनकी एलपीजी आवश्यकता का एक बड़ा भाग आयात किया जाता है। इन कंपनियों ने खुद को सीबीजी परियोजनाओं से बायो-गैस खरीदने तक सीमित कर लिया है। समिति महसूस करती है कि यह अस्वीकार्य है और चाहती है कि सभी पीएसयू अपने स्वयं के निवेश से सीबीजी परियोजनाओं में गंभीरता से निवेश करें और उन्हें बढ़ावा दें। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि मंत्रालय तेल पीएसयू विशेष रूप से ओएनजीसी, ओआईएल और गेल जैसे अपस्ट्रीम ऑयल पीएसयू को विशेष रूप से देश में अच्छी संख्या में सीबीजी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राजी करे क्योंकि यह प्राकृतिक गैस के उत्पादन के उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी प्रोफ़ेशनल और परियोजना प्रबंधन क्षमता के साथ इन परियोजनाओं में निवेश के लिए पर्याप्त धनराशि अलग रखनी चाहिए और परियोजनाओं को समयबद्ध और कुशल तरीके से निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए। यह इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता को भी प्रदर्शित करेगा और निवेशकों को विश्वास दिलाएगा। यह पीएसयू और मंत्रालय को विभिन्न मुद्दों को सुलझाने और सीबीजी पहल को सफलतापूर्वक लागू करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय करने के लिए मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देगा।इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सभी ओआईएल पीएसयू को इस 'सतत' पहल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपने स्वयं के धन से सीबीजी संयंत्रों में निवेश करना चाहिए।

□□□□□□□ □□. 10

□□□□□□□ □□□□□□ □□□ (□□□□□□□) □□ □□□□□□□

समिति नोट करती है कि उद्यमियों को सीबीजी संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समिति महसूस करती है कि ऋण की कमी प्रमुख कारकों में से एक है जिसके कारण कई सीबीजी संयंत्र स्थापित नहीं हुए हैं और इसलिए, नवीन वित्तीय तंत्र/उत्पादों को विकसित कर ऋण मुहैया कराने की तत्काल आवश्यकता है। समिति का सुझाव है कि सीबीजी परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफ) स्थापित किया जाना चाहिए, जैसा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उधारकर्ताओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था और सीबीजी परियोजनाओं के लिए भी ऐसा ही सोचा जा सकता है। यह सीबीजी उद्योग में ऋण जोखिम लेने के लिए वित्तीय संस्थानों में आशंकाओं को कम करने और उनमें विश्वास पैदा करने में सक्षम होगा।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि एमएनआरई के तहत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरईडीए) द्वारा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण किया जा सकता है जो सीधे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन कर सकता है जिसमें प्रत्येक सीबीजी परियोजना जो कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है (एक शक्तिशाली परियोजना के रूप में योग्य होने के लिए), को आगे ऋण देने के लिए बैंक / एनबीएफसी के माध्यम से आईआरईडीए द्वारा रियायती दर पर ऋण का लाभ प्रदान किया जाएगा।

सिफारिश सं. 11

<u>जैव खाद का सुनिश्चित ऑफ टेक</u>

समिति नोट करती है कि सीबीजी संयंत्रों के प्रमुख उप-उत्पादों में से एक जैव-खाद है और इसके उचित व बाजार मूल्य पर ऑफ टेक या दीर्घकालिक आपूर्ति के किसी अन्य समझौते का कोई आश्वासन नहीं है। सीबीजी संयंत्र केवल बायो-गैस के उत्पादन और विपणन के माध्यम से खुद को बनाए नहीं रख सकते हैं और इसलिए जैव खाद की बिक्री से सीबीजी संयंत्रों की वित्तीय व्यवहार्यता में वृद्धि होगी।समिति यह भी नोट करती है कि यह जैव-खाद मिट्टी के पोषक तत्वों की समस्याओं को हल कर सकता है और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है जिससे कृषि क्षेत्र को भी अनके लाभ हो सकते हैं।समिति महसूस करती है कि सीबीजी संयंत्रों के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और जैव-खाद को सीबीजी परियोजनाओं के राजस्व स्त्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। समिति आगे यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए 'उत्पादन तिथि' और "बेस्ट यूज़ बिफोर डेट "का निर्धारण, परिवहन के दौरान पोषक तत्वों के नुकसान को रोकने के सुरक्षोपाय व साधन और सार्वजनिक डोमेन में इसको लेकर शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए इसी तरह के अन्य उपाय स्पष्ट रूप से होने चाहिए ताकि उसके उपयोग के संबंध में कोई आशंका न रहे।

कृषि विकास केंद्रों (केवीके), एफपीओ, आदि सहित कृषि विस्तार मशीनरी के माध्यम से कृषि मंत्रालय के समन्वय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कृषि भूमि पर 'जैविक किण्वन खाद' के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कृषि विभाग और उर्वरक विभाग के परामर्श से एक तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि सीबीजी के जैव खाद की पूरी मात्रा का ऑफ टेक और इसके लिए दीर्घकालिक समझौते को सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए जैव खाद के खरीद मूल्य और वे एजेंसियां शामिल हैं जिन्हें इसकी खरीद का कार्य सौंपा गया है।

सिफारिश सं. 12

<u>प्राकृतिक गैस ग्रिड में बायोमिथेन इंजेक्शन का कोटा</u>

समिति यह महसूस करती है कि मंत्रालय को अपने दृष्टिकोण को नया रूप देना चाहिए और योजना के विभिन्न पहलुओं पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। चूंकि सीबीजी के स्रोत विविध और एक स्थान पर नहीं हैं, इसलिए सीबीजी संयंत्रों को विकेंद्रीकृत गैस क्षेत्रों के रूप में देखा जाना चाहिए। समिति का मानना है कि इससे घरेलू गैस उत्पादन में वृद्धि होगी क्योंकि सीबीजी (सतत) के तहत लक्ष्य वर्तमान घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन के बराबर हैं। 'सतत' की सफलता निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को कम करेगी और साथ ही देश के भीतर आय और रोजगार के नए स्रोत पैदा करेगी।

समिति चाहती है कि विभिन्न क्षमताओं वाले सीबीजी संयंत्रों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड के साथ चैनलाइज/सिंक्रनाइज़ किया जाना चाहिए। समिति ने पाया है कि गैस उपयोगिता प्रमुख, गेल (इंडिया) लिमिटेड पहले से ही घरेलू गैस के साथ मिश्रित सीबीजी की आपूर्ति के लिए परिचालन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। समिति का सुझाव है कि जब इसकी प्रक्रिया तेज होगी, तो सभी सीजीडी कंपनियों (निजी/पीएसयू) में सिटी गैस/पीएनजी की एक समान कीमत होनी चाहिए।एक समान गैस मूल्य के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसा एक तंत्र गैस पूल मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से हो सकता है, जैसा कि वर्तमान में उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए लागू है।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि सीजीडी क्षेत्र को कुल घरेलू गैस आपूर्ति में चरण-वार (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) मिश्रित कोटा/सह-मिश्रित सीबीजी का मिश्रण होना चाहिए। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और डीजल की सफलता ने पहले ही मिसाल कायम कर दी है और इसे इस मामले में भी अपनाया जा सकता है।

सिफारिश सं. 13

<u>सीबीजी का 'ऑफ-टेक' मूल्य</u>

समिति नोट करती है कि सीबीजी संयंत्रों में इंटरनल - रेट ऑफ रिटर्न (आईआरआर) बहुत कम है और सीबीजी मूल्य निर्धारण विपणन कंपनियों के लिए लाभकारी होना चाहिए। समिति मंत्रालय द्वारा सीबीजी की कीमतों को बढ़ाकर 54 रुपये प्रति किग्रा प्लस जीएसटी करने के प्रयासों की सराहना करती है और साथ ही, सीबीजी की कीमतों को सीएनजी के साथ तय करने की भी सराहना करती है, इससे विपणन

कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, समिति यह देखकर चिंतित है कि यह मूल्य निर्धारण उस फीडस्टॉक को ध्यान में नहीं रखता है जिससे सीबीजी का उत्पादन होता है। समिति ने पाया है कि यह समान मूल्य निर्धारण कुछ फीडस्टॉक्स को प्रोत्साहित करता है जबकि अन्य के प्रयोग को बढ़ावा नहीं देता है। 'सतत' के तहत सीएनजी की कीमतों के लिए सीबीजी कीमतों की वर्तमान बेंचमार्किंग सीबीजी के उचित मूल्य निर्धारण की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय पहल है।हालांकि, अलग-अलग फीड स्टॉक के लिए सीबीजी संयंत्र की लागत व्यवस्था को देखते हुए मूल्य निर्धारण को भी और अधिक मजबूत और लचीला होना चाहिए।

समिति चाहती है कि सीबीजी के लिए उपयुक्त बाजार मूल्य के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के समन्वय में एमओपीएनजी द्वारा एक दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है जो सीबीजी संयंत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है, तर्कसंगत मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाता है और निवेशकों / प्रमोटरों की दीर्घकालिक निवेश योजनाओं को बढ़ावा देता है। समिति आगे सिफारिश करती है कि मंत्रालय को विभिन्न प्रकार के फीड स्टॉक से उत्पादित सीबीजी के मूल्य निर्धारण तंत्र को स्थापित करना चाहिए और शीरे के विभिन्न ग्रेड से जैव-इथेनॉल के लिए अंतर मूल्य निर्धारण (एफआरपी) तंत्र से संकेत लिए जा सकते हैं और सीबीजी क्षेत्र के मामले में भी इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया जा सकता है।

सिफारिश सं. **14**

<u>जैव खाद के लिए मार्किट डेवलपमेंट असिस्टेंस</u>

समिति नोट करती है कि सीबीजी संयंत्रों में, राजस्व का एक स्रोत जैव-खाद की बिक्री है जो सीबीजी के उत्पादन में एक उप-उत्पाद है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि एमओपीएनजी के तहत ओजीएमसी ने पहले ही सीबीजी की खरीद के लिए मूल्य की घोषणा कर दी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बायो-स्लरी को जैविक जैव-खाद के रूप में मानने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत अधिसूचना भी जारी की है। समिति नोट करती है कि उर्वरक विभाग द्वारा शहरी खाद के संवर्धन और खपत के लिए प्रदान की गई बाजार विकास सहायता 30 सितंबर, 2021 के बाद बंद कर दी गई है। इसलिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को फसलों का संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किण्वित जैव-खाद के ऑफटेक हेतु बाजार विकास सहायता जारी रखने के लिए उर्वरक विभाग/व्यय विभाग के साथ मामला उठाना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीबीजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एमडीए हेतु वित्त मंत्रालय से बातचीत करे।

सिफारिश सं. 15

<u>सीबीजी उत्पादन के लिए फीडस्टॉक संबंधी मुद्दे</u>

समिति नोट करती है कि बायोमास स्रोत जैसे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट, मवेशियों का गोबर, शुगरकेन प्रेस मड, कृषि अवशेष आदि कुछ फीडस्टॉक्स हैं जो एरोबिक डिकंपोजीशन की प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस का उत्पादन करते हैं। इन फीडस्टॉक की उपलब्धता अलग-अलग स्वरूप में होती है क्योंकि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और शुगरकेन प्रेस मड अधिकांशत: पूरे वर्ष उपलब्ध हैं, जबकि कृषि अवशेष वर्ष में केवल कुछ महीनों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि जो सीबीजी सयंत्र फीडस्टॉक के रूप में कृषि अवशेषों का उपयोग करते हैं, उन्हें वर्ष के शेष भाग के लिए कृषि अवशेषों को संग्रहीत करने के लिए बड़े भंडारण स्थान की भी आवश्यकता हो सकती है क्योंकि ये अवशेष केवल फसल कटाई की अवधि के दौरान उपलब्ध होते हैं।

समिति के समक्ष उपस्थित हुए उद्यमियों ने बताया कि कृषि अवशेषों की आपूर्ति और मूल्य को लेकर भारी अनिश्चितता है क्योंकि किसान सीबीजी संयंत्र को आपूर्ति करने के लिए उच्च मूल्य की मांग करते हैं। उद्यमी के पास सीमित विकल्प होते हैं क्योंकि फीडस्टॉक को पड़ोसी क्षेत्र से मंगाना पड़ेगा और लंबी दूरी से फीडस्टॉक का परिवहन इसकी लागत को बढ़ा देगा। उद्यमी राज्य सरकारों से सुनिश्चित कच्चे माल की आपूर्ति और फीडस्टॉकों के भंडारण हेतु दीर्घावधि के लिए रियायती मूल्य पर भूमि उपलब्धता के रूप में सहायता की मांग करते हैं। हालांकि, समिति नोट करती है कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के मामले में ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि अधिकांश शहरों और कस्बों में नगरपालिका अपशिष्टों के विशाल लैंडफिल्स हैं। इसी तरह, चीनी की फैक्ट्री के पास भी शुगरकेन प्रेस मड है।

इसलिए, मंत्रालय को पूरे देश में सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए वरीय फीडस्टॉक के रूप में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और शुगरकेन प्रेस मड पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समिति महसूस करती है कि यह आसानी से उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को शहरी स्थानीय निकायों को, सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों, (ऑयल पीएसयू)/राज्य सरकारों के सहयोग से सीबीजी संयंत्र स्थापित करने और फीडस्टॉक के रूप में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श/चर्चा करनी चाहिए। इन संयंत्रों के सीबीजी का उपयोग इन शहरों में शहरी परिवहन और सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संबंधित मंत्रालय/इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा)/चीनी मिलों के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि उन्हें सीबीजी संयंत्रों में भी निवेश करने और इसको ओएमसीज को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिनके साथ एथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के कारण उनके पहले से ही अच्छे संबंध हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और

प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सीबीजी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए समस्याओं से घिरे कृषि अवशेषों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाए फीड स्टॉक के रूप में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और शुगरकेन प्रेस मड पर ध्यान देना चाहिए और इसे वास्तविक रूप से सफल बनाना चाहिए।

मंत्रालय शहरी नगर निकायों, कृषि मंडियों, सहकारी क्षेत्र, उर्वरक कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), एनएएफ़ईडी आदि को भी अपने प्रचालन क्षेत्र में सीबीजी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शामिल कर सकता है।

समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह राज्य सरकारों के साथ परामर्श करे और सभी राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का प्रयास करे और उन पर विभिन्न प्रकार के बायोमास के लिए मूल्य निर्धारित करने हेतु बल दे ताकि सीबीजी संयंत्रों के लिए बायोमास का मूल्य निर्धारण और उपलब्धता के बारे में कोई अनिश्चितता न रहे।

सिफारिश सं. 16

<u>सीबीजी में जीएसटी के मुद्दे</u>

समिति नोट करती है कि 'सतत' के तहत संपीड़ित जैव गैस मूल रूप से परिवहन क्षेत्र में जैव सीएनजी और घरेलू क्षेत्र में पीएनजी के लिए उपयोग की जाती है। मंत्रालय ने सीबीजी-सीजीडी सिंक्रोनाइज़ेशन स्कीम के अंतर्गत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित सीबीजी को सीजीडी नेटवर्क में शामिल करने की भी अनुमति दी है और सीबीजी संयंत्र को 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर सीजीडी नेटवर्क से जोड़ने की जिम्मेदारी जैव गैस उत्पादकों की होगी।

समिति नोट करती है कि वर्तमान में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद अलग-अलग कर प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं। बायो गैस जीएसटी के तहत है और सीएनजी उत्पाद शुल्क के तहत है और जब सीबीजी को सीएनजी के साथ मिलाया जाता है, जिसकी अनुमति है, तो यह दोहरे कराधान में आ जाता है क्योंकि उत्पाद शुल्क के अलावा वैट भी लगाया जाता है। यह व्यापक कर संरचना भ्रम पैदा करती है और एक ही गैस विभिन्न कराधान के अंतर्गत आ जाती है जो जटिलता और मुकदमेबाजी पैदा कर सकती है तथा कर बोझ और अंतिम मूल्य में वृद्धि कर सकती है। समिति चाहती है कि सीबीजी, सीएनजी, पीएनजी और सीबीजी को सीएनजी या पीएनजी के रूप में मिश्रित किए जाने वाले उत्पादों पर कर ढांचे में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को स्पष्टता कर ढांचे को

युक्तिसंगत बनाने और लागू कर के निर्धारण के लिए राजस्व विभाग के साथ परामर्श करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो जीएसटी परिषद से संपर्क करना चाहिए।

सिफारिश सं. 17

<u>सीबीजी संयंत्रों के लिए कर संबंधी मुद्दे</u>

समिति नोट करती है कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80जेजेए संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभ और फायदा या बिजली पैदा करने हेतु जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का उपचार या जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों या अन्य जैविक एजेंटों का उत्पादन या बायो-गैस उत्पादन के लिए अथवा ईंधन या जैविक खाद के छर्रे या ब्रिकेट बनाने हेतु 100 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान करती है जो मूल्यांकन वर्ष से शुरू होकर लगातार पांच मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए होता है जिसमें ऐसा व्यवसाय शुरू होता हो।

समिति महसूस करती है कि सीबीजी संयंत्रों को एक उभरते उद्योग के रूप में देखा जाना चाहिए और सिफारिश करती है कि प्रारंभिक अवस्था में विशेष रियायतें प्रदान की जानी चाहिए और आयकर संशोधन में नई धाराओं के तहत 80जेजेए योजना को स्पष्ट रूप से दस वर्षों के लिए जारी रखने का प्रावधान किया जाए जो विशेष रूप से उद्योग में प्रवेश करने वाले उद्यमियों / स्टार्ट-अप के लिए अति-आवश्यक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा।

समिति यह पाती है कि जीएसटी परिषद ने हाल ही में बायोगैस संयंत्र से संबंधित उपकरणों और उनके पुर्जों के लिए जीएसटी स्लैब को 5प्रतिशत से बढ़ाकर 12प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है। इससे घरेलू उद्योग को जीएसटी व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन मिलने की आशा है। हालांकि, समिति नोट करती है कि इन अस्पष्टताओं के कारण अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों द्वारा सीबीजी संयंत्रों से स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं।

समिति नोट करती है कि कर के मुद्दों में स्पष्टता किसी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में काफी सहायक साबित होती है। सीबीजी संयंत्रों के लिए कराधान संरचना में असमानता को कम करके सीबीजी परियोजनाओं में सभी खरीदों के लिए वस्तु और सेवा कराधान में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को राजस्व विभाग के परामर्श से इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

सिफारिश सं. 18

जागरूकता और प्रशिक्षित जनशक्ति

समिति नोट करती है कि सीबीजी क्षेत्र अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और व्यवसाय में कई जोखिम शामिल हैं जिससे उद्यमियों और प्रमोटरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीबीजी क्षेत्र में ऋण आपूर्ति की कमी है और यह संरचनात्मक बाधाओं से भी ग्रस्त है और अभी भी एक निश्चित राजस्व धारा में आने की स्थिति में नहीं है। अतः समिति महसूस करती है कि रोजगार और आय के अवसरों के सृजन में सीबीजी क्षेत्र की व्यवहार्यता और संभाव्यता के बारे में वित्तीय संस्थानों के बीच जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है, हालांकि, जेस्टेशन अवधि को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है या इसे ठीक से नहीं समझा गया है । समिति यह भी चाहती है कि उद्योग के सामने आने वाली सभी बाधाओं और चुनौतियों की पहचान की जानी चाहिए और उनके स्वरूप और समाधानों की पहचान करके समन्वित और समयबद्ध तरीके से विभिन्न हितधारकों को प्रसारित किया जाना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सीबीजी उद्योग से जुड़े अनुचित अंतर्निहित जोखिम की धारणा को दूर करने के लिए वित्तीय संस्थान के अधिकारियों (पदानुक्रम में) को प्रशिक्षित करने के लिए एक उचित योजना तैयार करनी होगी।

समिति आगे नोट करती है कि यह क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा है और पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है और इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के परामर्श से भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इस क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए एक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना चाहिए।

सिफारिश सं. **19**

कार्बन ट्रेडिंग

समिति नोट करती है कि सीबीजी (सतत) स्कीम में देश में कचरा के प्रबंधन के लिए अपार संभावनाएं हैं। सीबीजी संयंत्रों में पराली जलाने के कुशल प्रबंधन की क्षमता है जो अत्यधिक पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है और परिणामस्वरूप पूरे देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। सीबीजी संयंत्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अपशिष्ट सामग्री सहित कई फीडस्टॉक को बायो-गैस में परिवर्तित करता है और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन में भी काफी योगदान दे सकता है।

समिति सिफारिश करती है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे वे सीबीजी संयंत्रों द्वारा अपशिष्ट सामग्री का प्रबंधन नहीं करने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले कार्बन पदचिह्न का आकलन करें। इससे देश को सीओपी-26 ग्लासगो में

2070 तक कार्बन नेट जीरो की भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सीबीजी संयंत्रों द्वारा सृजित कार्बन क्रेडिट का मुद्रीकरण किया जा सकता है और तदनुसार इसकी वित्तीय व्यवहार्यता और राजस्व स्रोत में सुधार किया जा सकता है जो सभी हितधारकों के लिए लाभ की स्थिति प्रदान करता है।

सिफारिश सं. **20**

<u>जैव ईंधन के संबंध में वैश्विक सहयोग</u>

समिति नोट करती है कि भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। समिति नोट करती है कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं से निपटने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए देश की एनर्जी बास्केट में जैव ईंधन को बढ़ावा देने और शामिल करने के लिए जैव ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति **2018** की घोषणा की है। एनपीबी–**2018** में पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ईंधन के साथ वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल, बायोडीजल और सीबीजी के उत्पादन और सम्मिश्रण की परिकल्पना की गई है।

समिति **10** प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को प्राप्त करने के प्रयासों की सराहना करती है और आशा करती है कि किए जा रहे उपायों से **2024-25** तक **20** प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इससे जैव ईंधन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जो सीओपी **26**, ग्लासगो में किए गए कार्बन कटौती लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा।

समिति नोट करती है कि ब्राजील, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन और जर्मनी जैसे कई देश जैव ईंधन का उत्पादन करते हैं। यह आशा की जाती है कि ऐसे देशों के बीच बना गठबंधन ईंधन मानकों और इंजनों के साथ-साथ नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और सहयोग के लिए एक वातावरण का निर्माण करेगा। यह वैश्विक सहयोग, वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा जो अन्य देशों को कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं से लड़ने में भी सहायता करेगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की तर्ज पर, जैव ईंधन के संबंध में वैश्विक सहयोग हेतु प्रयास करने चाहिए।

नई दिल्ली — रमेश बिधूडी,

<u>19 *दिसंबर, 2022*</u> — *सभापति,*

19 अग्रहायण,1944 (शक) — *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति।*